www.humanrightsinitiative.org

राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल, 2016,
इस रिपोर्ट की जानकारी का उपयोग स्रोत को विधिवत सूचित करने के बाद किया जा सकता है।

CHRI
Commonwealth Human Rights Initiative
working for the *practical* realisation of human rights in the Commonwealth

सीएचआरआई मुख्यालय, नई दिल्ली
55ए, तीसरा माला
सिद्धार्थ चैम्बर्स
कालू सराय, नई दिल्ली 110 016
इंडिया

फोन: +91 11 4318 0200
फैक्स: +91 11 2686 4688
ई–मेल: info@humanrightsinitiative.org

////

सीएचआरआई लंदन
रूम न. 219
स्कूल ऑफ़ एडवांस्ड स्टडी
साउथ ब्लॉक, सीनेट हाउस
मलेट स्ट्रीट, लंदन WC1E 7HU,
यूनाइटेड किंगडम

फोन: +44(0) 207 664 4860
फैक्स: +44(0) 207 862 8820
ई–मेल: london@humanrightsinitiative.org

////

सीएचआरआई अफ्रीका, आक्रा
हाउस न .9, समोरा मकेल स्ट्रीट
एसाइलम डाउन, अपोजिट बेवर्ली हिल्स होटल
नियर ट्रस्ट टावर्स, आक्रा,
घाना

फोन/फैक्स: +233 302 971170
ई–मेल : chriafrica@humanrightsinitiative.org

ISBN: 978-93-81241-43-1

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, एवं नियम 1995

2015 और 2018 में संशोधित

एक मार्गदर्शिका

लेखक

देवयानी श्रीवास्तव

संपादक

देविका प्रसाद और संजय हजारिका

अनुवादक

धनंजय झा और राहुल सिंह

समीक्षक

निकिता भुकर

ISBN: 978-93-81241-56-1

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सी.एच.आर.आई.) एक स्वतंत्र, गैर–पक्षपातपूर्ण, अंतर्राष्ट्रीय गैर–सरकारी संगठन है, जो राष्ट्रमंडल के देशों में मानवाधिकारों के व्यावहारिक अहसास के लिए कार्यरत है। सन् 1987 में कई राष्ट्रमंडल पेशेवर संगठनो ने सी.एच.आर.आई. की स्थापना की। उनका मानना था की राष्ट्रमंडल ने सदस्य देशों को निर्धारित मूल्यों और कानूनी सिद्धांतों का एक सेट प्रदान किया था, जिनसे काम करने के लिए और मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान किया जाएगा, राष्ट्रमंडल के भीतर मानवाधिकारों के मुद्दों पर पर्याप्त विचार नहीं किये जा रहे थे।

सी.एच.आर.आई. के उद्देश्य हैं की राष्ट्रमंडल सिद्धांतों, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकार उपकरणों के साथ–साथ राष्ट्रमंडल सदस्य राज्यों में मानवाधिकारों का समर्थन करने वाले घरेलू उपकरणों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है।

अपनी रिपोर्ट और आवधिक जाँच के माध्यम से, सी.एच.आर.आई. लगातार राष्ट्रमंडल देशों में मानव अधिकारों के लिए प्रगति और असफलता पर ध्यान केंद्रित करता हैं। मानव अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के दृष्टिकोण और उपायों की सलाह देते हुए, सी.एच.आर.आई. राष्ट्रमंडल सचिवालय, सदस्य सरकारों और नागरिक समाज सांगठनों को संबोधित करता है। अपने सार्वजनिक शिक्षा कार्यक्रमों, नीतिगत संवाद, तुलनात्मक शोध, वकालत और नेटवर्किंग के माध्यम से, सी.एच.आर.आई. का दृष्टिकोण पूरे प्राथमिक मुद्दों के आसपास उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना है।

सीएचआरआई नई दिल्ली, भारत में स्थित है। और इसके लंदन, ब्रिटेन और अक्रा, घाना में कार्यालय हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार आयोग : यशपाल घई– अध्यक्ष
सदस्य : एलिसन डक्सबरी, वजाहत हबीबुल्लाह, विवेक मारु, एडवर्ड मोर्टिमर, सैम ओकउड़जेतु और संजोय हज़ारिका।

////

कार्यकारिणी समिति (इंडिया) : वजाहत हबिबुदुल्लाह– अध्यक्ष
सदस्य : बी के चंद्रशेखर,जयंतो चौधरी, माजा दारुवाला, नितिन देसाई, कमल कुमार, पूनम मुटरेजा, जैकब पुन्नूज़, विनीता राय, निधि राज़दान, ऐ पी शाह और संजोय हज़ारिका।

////

कार्यकारिणी समिति (घाना) : सैम ओकउड़जेतु, अध्यक्ष
सदस्य : आकोटो आमपाव, यशपाल घई, वजाहत हबीबुल्लाह, कोफ़ी क्वाशिगाह, जूलियट तुआकली और संजोय हज़ारिका।

////

कार्यकारिणी समिति (यु के) : जोआना एडवर्ट. जेम्स, अध्यक्ष
सदस्य : रिचर्ड बॉर्न, प्रलब बरुआ, नेविले लिंटन, टोनी फोरमैन, सुज़ाने लैम्बर्ट और संजोय हज़ारिका।

आभार

////

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशिएटिव के पुलिस सुधार कार्यक्रम ने इस पुस्तिका को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में निहित प्रक्रियाओं और कानूनी अधिकारों पर जानकारी प्रदान करने के लिए संकलित किया है। विभा वासुकी ने इस पुस्तिका का प्रारंभिक प्रारूप तैयार किया और निकिता भुकर की सहायता से शोध करके पुस्तिका को अंतिम रूप दिया गया है। देविका प्रसाद को उनके निरंतर मार्गदर्शन और संजय हजारिका को उनके दृढ़ समर्थन के लिए हमारा विशेष धन्यवाद है।

हम राष्ट्रीय दलित न्याय आंदोलन – राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान को और विशेष रूप से वकील राहुल सिंह और डॉ रमेश नाथन की एकजुटता के लिए, विषय के बारे में सूचना एकत्रित करने के लिए और प्रारूप की समीक्षा के लिए की गई बैठकों के आभारी हैं।

कानूनी सटीकता सुनिश्चित करते हुए प्रारूप की व्यापक समीक्षा करने के लिए वकील हर्ष बोरा को हमारा विशेष धन्यवाद है।

पिया एलीज हजारिका को भी धन्यवाद, जिन्होंने पुस्तिका डिज़ाइन की है।

////

यह पुस्तिका यूरोपीय संघ से प्राप्त अनुदान के तहत तैयार की गई है।
हम उनके समर्थन की तहे दिल से सराहना करते हैं।

यूरोपीय संघ 28 सदस्य राज्यों से बना है जिन्होंने धीरे–धीरे अपने ज्ञान, संसाधनों और नियतियों को एक साथ जोड़ने का फैसला किया है। साथ में, 50 वर्षों के विस्तार की अवधि के दौरान, उन्होंने सांस्कृतिक विविधता, सहिष्णुता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखने के दौरान ही स्थिरता, लोकतंत्र और सतत विकास का एक दायरा बनाया है। यूरोपीय संघ अपनी उपलब्धियों और सिद्धांतों को अन्य देशों और लोगों के साथ, अपनी सीमाओं से परे बांटने के लिए प्रतिबद्ध है।

////

यह पुस्तिका सन् 2015 और 2018 में संशोधित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1995 की एक व्यापक मार्गदर्शिका है। यह इस विशेष कानून के उद्देश्य, अत्याचारों के रूप में परिभाषित अपराधों उनके लिए दंड, पंजीकरण की प्रक्रिया, जांच और मामलों की सुनवाई, विशेष सुरक्षा, पीड़ितों और गवाहों के अधिकार विभिन्न राज्य अधिकारियों की भूमिका, राहत और पुनर्वास उपायों का विवरण प्रदान करती हैं। यह आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर, संपर्क के पहले बिंदु के रूप में, पुलिस की भूमिका पर जोर देती है कि पुलिस को किसी भी लापरवाही और / या दुर्व्यवहार के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। पुस्तिका केवलअधिनियम और नियमों को समझाने तक ही सीमित है। इसमें पीओए अधिनियम के संबंध में अदालत के आदेश और निर्णय शामिल नहीं हैं।

इस पुस्तिका के माध्यम से, सीएचआरआई कानून के बढ़ते ज्ञान, समझ और उपयोग के माध्यम से समुदायों को सशक्त बनाने के प्रयासों को मजबूत करना चाहता है। यह आशा की जाती है कि कानून के बारे में अधिक जागरूकता अत्याचारों की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करेगी, राज्य संस्थानों की जवाबदेही को बढ़ाएगी और समुदायों को कानूनी उपचार तक पहुंचाने में सक्षम बनाएगी ।

विषय सूची

आभार 6

अवलोकन 14

1. अत्याचार निवारण अधिनियम क्या है? 14
2. यह कब लागू हुआ? 14
3. अधिनियम के उद्देश्य क्या हैं? 14
4. अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार हैं ? केंद्र सरकार या राज्य सरकार ? 15
5. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य कौन है? 15

अत्याचार के अपराध 16

6. "अत्याचार" से क्या तात्पर्य हैं ? 16
7. इस अधिनियम के तहत अत्याचार का पीड़ित व्यक्ति कौन है? 19
8. इस अधिनियम के तहत अपराधी कौन है? 19
9. क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य के खिलाफ अधिनियम के तहत अपराध का आरोप लगाया जा सकता है? 19
10. क्या अत्याचार अपराध संज्ञेय हैं? 21
11. क्या किसी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत भी दंडित किया जा सकता है यदि वह अत्याचार करता है? 21
12. इस अधिनियम के तहत मामले को साबित करने के लिए, क्या यह दर्शाना आवश्यक हैं कि, अभियुक्त को पीड़ित के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने की जानकारी थी ? 23
13. जब व्यक्तियों के समूह द्वारा एक अत्याचार किया जाता है, तो क्या प्रत्येक व्यक्ति समान डिग्री के दंड का भागीदार होगा ? 23
14. मान लीजिए कि एक व्यक्ति इस अधिनियम के तहत आरोपी को वित्तीय सहायता देता है, क्या ऐसा व्यक्ति सजा के लिए उत्तरदायी होगा? 23

शिकायतों का पंजीकरण 25

15. अत्याचार की सूचना कौन कर सकता है? 25

16. प्रथम सूचना रिपोर्ट या एफआईआर क्या है? 25

17. क्या एफआईआर दर्ज करने के लिए कोई विशेष प्रारूप है? 25

18. क्या एफआईआर दर्ज करने में अपराध से पीड़ित महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान हैं? 27

19. अगर मैं अपनी शिकायत लिखित रूप में देने में सक्षम नहीं हूँ तो क्या होगा ? 27

20. क्या अधिनियम के तहत की गई शिकायत के लिए एफआईआर दर्ज करना आवश्यक हैं? 27

21. क्या इस अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने से पहले पुलिस प्रारंभिक जांच कर सकती है? 27

22. क्या आपको अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए किसी विशेष दस्तावेज की आवश्यकता है? 28

23. क्या किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की जा सकती है? 28

24. अगर पुलिस आपकी शिकायत दर्ज कराने से इंकार कर देती है तो आप क्या कर सकते हैं? 29

25. यदि मामले को पंजीकृत करते समय पुलिस अधिनियम की सभी प्रासंगिक धाराओं को उल्लखित नहीं करती हैं, तो क्या, पुलिस को भी दंडित किया जा सकता है? 30

पंजीकरण के दौरान आपके अधिकार 31

अन्वेषण / जाँच 32

26. पुलिस को जांच पूरी करने में कितना समय लगता है? 32

27. इस अधिनियम के तहत जांच करने के लिए किस रैंक के अधिकारी जिम्मेदार हैं? 32

28. पुलिस के मामले की जांच खत्म होने पर क्या होता है? 32

29. यदि आपका मामला दर्ज हो जाने पर आपको धमकियां मिलती हैं तो आप क्या कर सकते हैं? 33

30. क्या अधिनियम के तहत आरोपी अग्रिम जमानत प्राप्त कर सकता है? 33

जांच के दौरान आपके अधिकार 34

न्यायिक मुक्कदमा 35

31. विशेष /अनन्य विशेष न्यायालय क्या है? 35
32. एक विशेष सरकारी अभियोजक / विशेष लोक अभियोजक कौन है? 35
33. क्या पीड़ित विशेष अदालत में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए अपनी पसंद के वकील का सुझाव दे सकता है? 35
34. मुकदमे को पूरा करने के लिए न्यायालय कितना समय ले सकता है? 35
35. विशेष या अनन्य विशेष अदालत के कर्तव्य क्या हैं? 36
36. क्या गिरफ्तार होने पर आरोपी को जमानत पर रिहा किया जा सकता है? 36
37. क्या जमानती आदेश को चुनौती दी जा सकती है? 36

मुक्कदमे के दौरान आपके अधिकार 37

अपील 38

38. क्या विशेष अदालत या अनन्य विशेष अदालत के फैसलों और आदेशों के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है? 38
39. अपील कब दायर की जानी चाहिए? 38
40. अपील के निपटारे की समय सीमा क्या है ? 38

परिलक्षित क्षेत्र 39

41. एक परिलक्षित क्षेत्र क्या है? 39
42. एक क्षेत्र को एक परिलक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित करने के बाद क्या होता है? 39
43. निष्कासन क्या है? 39
44. अगर कोई व्यक्ति न्यायिक आदेशों का अनुपालन करने में विफल रहता है तो न्यायालय क्या कर सकता है? 40

स्पॉट निरीक्षण 41

45. स्पॉट निरीक्षण क्या है? 41

राहत और पुनर्वास 42

46. क्या अधिनियम अत्याचार के अपराधों से पीड़ितों को मुआवजा संबंधित राहत प्रदान करता है? 42
47. अगर आपको राहत राशि नहीं मिलती है तो आप क्या कर सकते हैं? 53

निगरानी तंत्र 54

48. सतर्कता और मोनेटरी समिति क्या है? 54

49. नोडल अधिकारी कौन है? 56

50. नोडल अधिकारी के कर्त्तव्य क्या हैं? 56

51. एक विशेष अधिकारी कौन है? 56

52. एक विशेष अधिकारी के कर्तव्य क्या हैं? 57

अनुलग्नक 1: समय सीमा 58

अनुलग्नक 2: विभिन्न सरकारी अधिकारियों के मुख्य कर्तव्यों की सूची 59

अवलोकन ////

1. अत्याचार निवारण या अनुसूचित जाती / अनुसूचित जनजाति अधिनियम क्या है ?

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, एक विशेष कानून है। यह विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के खिलाफ किए गए अपराधों से संबंधित है – जिसे "अत्याचार" के रूप में परिभाषित किया गया है। यह जम्मू–कश्मीर राज्य (जम्मू–कश्मीर) को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। यह कानून जाति और जनजातीय पहचान के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्यवाइयों के पंजीकरण और मुक्कदमा चलाने के लिए मौजूद है तथा, पीड़ितों को कानूनी अधिकार प्रदान करते हैं, और सरकारों को अत्याचार रोकने से सम्बंधित उठाए जाने वाले कदमों के लिए प्रतिबंधित करते हैं।

2. यह कब लागू हुआ?

इसे 11 सितंबर 1989 को पारित किया गया था और 30 जनवरी 1990 से प्रभाव में आया।
2015 में, अत्याचारों के अपराधों का विस्तार करने और पीड़ितों और गवाहों से संबंधित कानूनी सुरक्षात्मक उपायों को मजबूत करने के लिए संशोधित किया गया। 26 जनवरी 2016 को इसमें किये गए संशोधन प्रभावी हुऐ।

3. अधिनियम के उद्देश्य क्या हैं?

- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के प्रति होने वाले अत्याचारों से रक्षा और रोकथाम;
- विशेष अदालतों की स्थापना और इस कानून के तहत अपराधों के न्यायिक विचारण लिए विशेष सरकारी अभियोजकों की नियुक्ति; और
- राहत, पुनर्वास के लिए पीड़ितों के अधिकारों का निर्माण।

4. अधिनियम को लागू करने के लिए कौन जिम्मेदार है– केंद्र सरकार या राज्य सरकार–?

दोनों। चूंकि अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था और पूरे भारत में विस्तारित है (जम्मू–कश्मीर

को छोड़कर), इसलिए राज्य सरकारों द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने से संबंधित उपायों की समीक्षा और समन्वय की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। 31 मार्च 1995 को, केंद्र सरकार ने अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) नियम, 1995 लाया। **इन्हें अप्रैल 2016 में संशोधित किया गया। सभी राज्य सरकारें इन नियमों का पालन करने के लिए बाध्य है। अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए राज्य सरकारें अलग–अलग उपाय कर सकती हैं, लेकिन इनके द्वारा केंद्रीय अधिनियम और नियमों के समग्र उद्देश्य और विशेषताओं को कमजोर नहीं किया जा सकता है।**

5. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य कौन हैं?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के रूप में कुछ जातियों, जनजातियों और जनजातीय समूहों को मान्यता दी गई। इस मान्यता के साथ ही, उन समूहों को विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से शोषित किया गया है। इन उपायों में, शैक्षिक संस्थानों, रोजगार, और अन्य सामाजिक–आर्थिक लाभ शामिल हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची प्रत्येक राज्य में अलग अलग है, और संसद द्वारा संशोधित की जा सकती है। इसका मतलब है कि किसी विशेष राज्य में एक समूह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में नामित हो सकता है परन्तु किसी अन्य राज्य में वही अनुसूचित जाती या अनुसूचित जनजाति के रूप में नामित नहीं भी हो सकता है। कभी–कभी ऐसा एक ही राज्य के कई ज़िलों में भी संभव है।

अत्याचारों के अपराध

6. "अत्याचार" क्या हैं?

अत्याचार कृत्यों की एक श्रंखला हैं, जिसमे अपमान, शारीरिक हानि एवं हमले, सार्वजानिक स्थनों एवं संसाधनों का प्रयोग करने से रोकना, जबरन मजदूरी कराना, इत्यादि शामिल है। नीचे दी गई तालिका, अधिनियम में परिभाषित अत्याचारों की पूरी श्रृंखला और उनके द्वारा निर्धारित दंडों को निर्दिष्ट करती है।

धारा	उपधारा	अपराध के प्रकार	दंड	
		जब एक गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्य के खिलाफ निम्नलिखित में से कोई अपराध करता है:		
		व्यक्ति के खिलाफ	न्यूनतम	अधिकतम
3(1)	(कं)	टरवाध एक घ्रणात्मक पदार्थ पीने या खाने को मजबूर करना	6 महीने	5 साल
3(1)	(घ)	जूतों की माला पहनना या नग्न या अर्धनग्न करके जुलूस निकालना	6 महीने	5 साल
3(1)	(ड़)	बलपूर्वक सिर का मुंडन या मूछे हटाना या चेहरे या शरीर को पोतना या इसी प्रकार का कोई अन्य कार्य	6 महीने	5 साल
3(1)	(त)	झूठे मुक्कदमों में फ़सान	6 महीने	5 साल
3(1)	(थ)	किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए सरकारी कर्मचारी को गलत सूचना देना	6 महीने	5 साल
3(1)	(द)	अपमानित करने के आशय से लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर अपमानित या अभित्रस्त करना	6 महीने	5 साल
3(1)	(ध)	लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से गाली गलौच करेगा	6 महीने	5 साल
3(1)	(प)	शब्दों या संकेतों के माध्यम से शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावना को बढ़ावा देना	6 महीने	5 साल

3(1)	(फ)	अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा अति श्रद्धा से माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति का अनादर करना	उम्र कैद	उम्र कैद
3(2)	(i)	मिथ्या सक्ष्य देना जिसके कारण किसी अनुसूचित जाती या जनजाति के किसी सदस्य को ऐसे मिथ्या साथ्य के फलस्वरूप मृत्युदंड से दोषसिद्धि करवाना है	आजीवन कारावास	
		और यदि ऐसे मिथ्या साथ्य के फलस्वरूप फांसी दे दी जाती है	मृत्यु दंड	
3(2)	(ii)	मिथ्या सक्ष्य देना जिसके फलस्वरूप किसी अनुसूचित जाती या जनजाति के सदस्य को सात या उससे अधिक की अवधि के कारावास की सजा होती है	6 महीने	7 साल व अधिक

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जाति के भूमि / संपत्ति के खिलाफ

3(1)	(ख) एवं (ग)	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के परिसर या पड़ोस में मल – सूत्र, कूड़ा, पशुशव या कोई अन्य घ्रणाजनक पदार्थ इकट्ठा करना	6 महीने	5 साल
3(1)	(च)	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के स्वामित्वाधति भूमि को सदोष अधिभोग में लगाना उस पर में खेती करना या अंतरित करा लेना	6 महीने	5 साल
3(1)	(छ)	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य की भूमि पे कब्जा करना या किसी भूमि या परिसरों या जल या सिचाई सुविधाओं पर वन अधिकारों सहित उसके अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करना फसल नष्ट करना	6 महीने	5 साल

रोजगार–संबंधित अपराध

3(1)	(ज)	बेगार या अन्य प्रकार को बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर करना	6 महीने	5 साल
3(1)	(झ)	मानव या पशुशवो को अत्यिशिस्ट या ले जाने या कर्मो को खोदने के लिए विवश करना	6 महीने	5 साल
3(1)	(ञ)	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को हाथ से सफाई करने के लिए विवश करना	6 महीने	5 साल
3(1)	(य[ख])	जादूटोना करने या डाईन होने के अभिकयन पर शारीरिक हानि पहुँचाना या मानशिक यंत्रणा देना	6 महीने	5 साल

घरों और पवित्र सामानों के प्रति

3(1)	(न)	धार्मिक मानी जाने वाली या अति श्रद्धा से ज्ञात किसी वस्तु को नष्ट करना	6 महीने	5 साल
3(1)	(फ)	किसी दिवंगत सम्मानित व्यक्ति का अपमान करना	6 महीने	5 साल

3(2)	(iii)	आग लगाकर संपत्ति को हानि पहुंचाना	6 महीने	5 साल
3(2)	(iv)	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी घर या पूजा की जगह पर आग लगाकर नुक्सान पहुँचाना	उम्र कैद	

सार्वजानिक स्थान और सार्वजानिक संसाधनों का उपयोग करने के संबंध में

3(1)	(भ)	किसी भी जलाशय या पानी के किसी भी अन्य स्रोत को दूषित या गंदा करना	6 महीने	5 साल
3(1)	(म)	लोक समागम के किसी स्थान पर जाने के अधिकार से वंचित करना	6 महीने	5 साल
3(1)	(य)	घर, गांव या निवास के अन्य स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना	6 महीने	5 साल
3(1)	(य[क])	संपत्ति संसाधनों का उपयोग करने से बाधित या निवारित करना जैसे कि: सम्मिलित ☐ कब्रिस्तान या शमसान – भूमि ☐ नदी, धारा, कुआँ ☐ तालाब, कुंड, नल ☐ सड़क या मार्ग ☐ स्नान घाट ☐ पूजा का स्थान ☐ शैक्षिक संस्थान ☐ अस्पताल या औषधालय ☐ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ☐ दुकान ☐ सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान ☐ सार्वजनिक उपयोग के बर्तन या अन्य वस्तुएं निम्न में से कुछ भी करने से रोकना: ☐ घुड़सवारी या साइकिल चलाना ☐ सार्वजनिक स्थानों में जूते या नए कपड़े पहनना ☐ विवाह की शोभा यात्रा निकालना ☐ शादी की बरात के दौरान घोड़े या किसी अन्य वाहन का प्रयोग ☐ किसी भी धार्मिक, सामाजिक, या सांस्कृतिक शोभा यात्रा में भाग लेना ☐ किसी पेशे का अभ्यास करना ☐ किसी भी व्यवसाय या व्यापार को करना ☐ किसी भी नौकरी में नियोजन करना	6 महीने	5 साल
3(1)	(य[ग])	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से संबंधित किसी भी व्यक्ति या परिवार के सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार के लिए धमकाना	6 महीने	5 साल

चुनाव सम्बंधित अपराध

3(1)	(ठ)	मतदान करने से रोकना या किसी विशिष्ट अभ्यार्थी के खिलाफ मतदान करने को मजबूर करना या किसी अभियार्थी के रूप में नाम फाइल न करने या ऐसे नाम निर्देशन फाइल न करने या ऐसे नाम निर्देशन को प्रत्याहृत करना।	6 महीने	5 साल
3(1)	(ड)	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी पंचायत या नगरपालिका अध्यक्ष को उनके सामान्य कर्तव्यों या कृत्यों के पालन में मज़बूर या अभित्रस्त या बाधित करना।	6 महीने	5 साल

3(1)	(ढ)	मतदान के पश्चात् हमला करना या सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करने की धमकी देना	6 महीने	5 साल
3(1)	(ण)	किसी विशिष्ट अभियार्थी के लिए मतदान करने या उसको मतदान नहीं करने पर कोई अपराध करना	6 महीने	5 साल
		महिलाओं से सम्बंधित विशेष अपराध		
3(1)	(ट)	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति स्त्री को, किसी धार्मिक संस्थान को समर्पित करके देवदासी प्रथा को बढ़ावा देना	6 महीने	5 साल
3(1)	(ब[i])	साशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी स्त्री को उनकी सहमति के बिना स्पर्श करना	6 महीने	5 साल
3(1)	(ब[ii])	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी स्त्री की ओर यौन प्रकृति के अभद्र शब्दों या संकेतों का उपयोग करना	6 महीने	5 साल

7. इस अधिनियम के तहत अत्याचार का शिकार कौन है?

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई भी ऐसा सदस्य जिसने उपरोक्त अत्याचारों की परिभाषा के कृत्यों अंतर्गत तिरष्कार, अपमान, धमकी, भय या उत्पीड़न जिसमें लैंगिक उत्पीड़न का अनुभव किया है, इस अधिनियम के तेहत पीड़ित है।

8. इस अधिनियम के तहत अपराधी कौन है?

कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य **नहीं** है और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के खिलाफ अधिनियम में सूचीबद्ध अपराध करता है, वह अपराधी है, और उसके खिलाफ मुक्कदमा चलाया जा सकता है।

9. क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य के खिलाफ अधिनियम के तहत अपराध का आरोप लगाया जा सकता है?

नहीं। अधिनियम के प्रावधान बताते हैं कि केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य ही पीड़ित हैं, जबकि गैर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अपराधी हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिनियम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के खिलाफ किए गए अपराधों को संबोधित करता है।

परिभाषाएँ

एक पीड़ित
धारा 2(1)(ई सी)

अनुसूचित जनजाति के अनुसूचित जाति का एक सदस्य, जिसमें उसके रिश्तेदार, कानूनी अभिभावक और कानूनी उत्तराधिकारी शामिल हैं– जिन्होंने इस अधिनियम के तहत उल्लिखित अपराधों के परिणामस्वरूप नुकसान का अनुभव किया है।

एक गवाह
धारा 2(1)(ई डी)

कोई भी व्यक्ति जो तथ्यों या परिस्थितियों से परिचित है या इस अधिनियम के तहत किसी अपराध से जुड़े किसी भी अपराध से संबंधित किसी भी जानकारी से सम्बंधित है।

एक आश्रित व्यक्ति
धारा 2(1) (बी बी)

पति / पत्नी, माता–पिता और पीड़ितों के भाई बहन जो जीवनरोपण और रखरखाव के लिए पीड़ित पर निर्भर हैं।

अपराधी
धारा 2(1)/3(1) के अनुसार

कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अनुसूचित जाती या जनजाति का सदस्य नहीं है, एवं किसी अनुसूचित जाती या जनजाति के सदस्य के खिलाफ अधिनियम के तहत अपराध करता है।

10. क्या अत्याचार से संबंधित अपराध संज्ञेय हैं?

हाँ। इसका मतलब यह है कि ऐसे अपराधों को गंभीर मामलों के रूप में देखा जाता है और मजिस्ट्रेट से अनुमति की आवश्यकता के बिना, पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है। पुलिस मामले को दर्ज कर सकती है, या खुद की जांच शुरू कर सकती है, और आवश्यकता पढ़ने पर वारंट के बिना गिरफ्तारी भी कर सकती है।

इस अधिनियम में सूचीबद्ध सभी अपराध संज्ञेय है

11. क्या किसी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत भी दंडित किया जा सकता है?

हाँ, यह प्रावधान निम्नलिखित तरीकों से कार्यान्वित होता है:

ए) धारा 3 (2) (v) वस्तुतः भारतीय दंड संहिता के अधीन **दस वर्ष** या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय कोई अपराध जो किसी अनुसूचित जाती या अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध किया गया है और ऐसे अपराधों के दंड की समय सीमा को **आजीवन कारावास** तक बढ़ाती है,

बी) हालांकि, धारा 3 (2) (v क) के तहत, दंड की यह वृद्धि अपराधों की निम्नलिखित श्रेणियों पर लागू नहीं होगी। अनुसूची निम्नानुसार है:

भारतीय दण्ड संहिता के अधीन धारा	अपराध का विवरण
120क	आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा
120ख	आपराधिक षड्यंत्र का दंड
141	विधिविरुद्ध जमाव
142	विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होना
143	विधिविरुद्ध जमाव का दंड
144	घातक हथियार लेकर विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना
145	किसी विधिविरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दिया गया है, शामिल होना

146	दंगा करना
147	दंगा करने के लिए दंड
148	घातक हथियार से सज्जित होकर बल्वा करना
217	लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति के समपहरण से बचाने के लिए आशय से विधि के निदेश की अवज्ञा करना
319	उपहति
320	घोर उपहति
323	स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दंड
324	खतरनाक हथियारों या साधनों द्वारा स्वेच्छा
325	स्वेछा उपहति कारित करने का दंड
326ख	स्वेछया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना
332	लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपया करने के लिए स्वेछया उपहति कारित करना
341	दोषपूर्ण अवरोध के लिए दंड
354	स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना
354क	लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड
354ख	निरवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना

354ग	दृश्यरतिकता
354घ	पीछा करना
359	व्यवहरण
363	व्यवहरण के लिए सजा
365	किसी व्यक्ति का गुप्त रिति से और दोषपूर्ण परिरोध करने के आशय से व्यवहरण या अपहरण
376ख	अलगाव के दौरान अपनी पत्नी पर पति द्वारा यौन सम्बन्ध बनाना
376ग	प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन
447	आपराधिक अतिचार के लिए दंड
506	आपराधिक अभित्रास के लिए दंड
509	एक महिला का अपमान करने के उद्देश्य से अभद्र शब्द, इशारा या कार्य करना

12. मामले को साबित करने के लिए, क्या यह दिखाना जरूरी है कि आरोपी को जानकारी थी कि पीड़ित अनुसूचित जाती या अनुसूचित जनजाति का सदस्य था?

2015 में लाए गए संशोधनों के अनुसार, अधिनियम कहता है कि यदि अदालत में यह साबित होता है कि अभियुक्त को "पीड़ित या उसके परिवार का व्यक्तिगत ज्ञान" था, तो अदालत यह मान लेगी कि अभियुक्त जाति या जनजातीय पहचान से अवगत था । इसके बाद, यह अन्यथा साबित करने के लिए अभियुक्त पर निर्भर है की वह इस आशय को अन्यथा साबित करे।

13. जब व्यक्तियों के समूह द्वारा एक अत्याचार किया जाता है, तो क्या प्रत्येक व्यक्ति सामान डिग्री के दंड का भागीदार होगा ?

व्यक्तियों को किसी समूह ने इस अधिनियम के अधीन अपराध किया है, और यदि यह साबित हो जाता है कि किया गया अपराध भूमि या अन्य किसी विषय के बारे में किसी विधमान विवाद का फल है तो न्यायालय यह अनुमान लगाएगी कि –

क) अपराध सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए, या

ख) सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए गया था।

इसका मतलब यह है कि समूह का प्रत्येक व्यक्ति जिसने अपराध करने में भाग लिया, चाहें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वह उसी सजा का भागीधर होगा, जैसे कि उस व्यक्ति ने अकेले अपराध में भाग लिया। आम तौर पर, अभियोजन पक्ष को सामान्य आशय को साबित करना होता है। परन्तु इस अधिनियम के तहत, उन सभी अपराधियों को अदालत में साबित करना होगा की अपराध करने के लिए उनके बीच कोई पूर्व योजना या आशय नहीं था।

14. मान लीजिए कि एक व्यक्ति इस अधिनियम के तहत आरोपी को वित्तीय सहायता देता है, क्या ऐसा व्यक्ति सजा के लिए भी उत्तरदायी होगा?

हाँ। अधिनियम कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी आरोपी को वित्तीय सहायता देता है, तो अदालत यह मान लेगी कि ऐसे व्यक्ति ने अपराध का दुष्प्रेरण किया है। इसका मतलब है कि न्यायालय यह मान लेगा कि वित्तीय सहायता प्रदान करके, व्यक्ति अपराध करने में आरोपी के साथ शामिल था। अन्यथा साबित करने की ज़िम्मेदारी आरोपी व्यक्ति पर निर्भर करती है।

शिकायतों का पंजीकरण

15. अत्याचार की रिपोर्ट कौन कर सकता है?

कोई भी जिसके पास अत्याचार की जानकारी है, पुलिस से संपर्क कर सकता है, अपराध से पीड़ित व्यक्ति, अपराध के गवाह, ऐसा व्यक्ति जिसे अपराध के होने की जानकारी हो, रिपोर्ट करने का अधिकार है। आप पुलिस को अत्याचार के होने की जानकारी प्रदान करके, किसी अत्याचार की रिपोर्ट कर सकते हैं, जिसके पश्च्यात पुलिस को कानूनी रूप से पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करना आवश्यक है।

16. पहली सूचना रिपोर्ट या एफआईआर क्या है?

किसी संज्ञेय अपराध के होने की पहली जानकारी की लिखित रिपोर्ट को एफ. आई.आर कहा जाता है। यह जानकारी, या तो किसी के द्वारा पुलिस को दी जाती है या स्वयं पुलिस द्वारा पंजीकृत अपराध की जानकारी होने पर लिखी जाती है। इसे मौखिक या लिखित रूप में पुलिस को दिया जा सकता है। पुलिस एफआईआर में बताई गई जानकारी के आधार पर अपनी जांच शुरू करती है। इस प्रकार, पुलिस को जानकारी देते समय, पुलिस को यथासंभव स्पष्ट रूप से सभी प्रासंगिक जानकारी का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है, जैसेः

- गांव, तहसील और जिले के नाम सहित शिकायतकर्ता/सूचनार्थी का नाम और पता।
- घटना की तिथि, समय और स्थान
- घटना का पूर्ण विवरण जिस प्रकार अपराध को अंजाम दिया गया था
- घटना में शामिल व्यक्तियों के नाम और विवरण
- गवाहों के नाम और विवरण
- यदि कुछ चोरी हुआ है तो चोरी की गई संपत्ति का विवरण
- अगर अपराध की रिपोर्टिंग में किसी भी कारण से देरी की गई है तो उसका कारण
- प्रासंगिक आईपीसी और/या विशेष कानून प्रावधानों, सहित, किए गए अपराधों का विवरण

यदि कोई पीड़ित या शिकायतकर्ता उपर्युक्त विवरणो में से किसी के बारे में निश्चित नहीं है, तब भी जरुरी है कि वे पुलिस को रिपोर्ट करे और पुलिस का यह कर्तव्य होगा कि वह जानकारी ले और एफआईआर पंजीकृत करे।

इसके अतिरिक्त, अत्याचार के मामले में, एफआईआर में यह जानकारी देना महत्वपूर्ण है की पीड़ित शिकायतकर्ता की जाति / जनजाति क्या है और साथ–साथ उन सभी आरोपीयो की जाति का भी उल्लेख आवश्यक है, यह करने से यह सुनिश्चित होगा कि पुलिस भारतीय दंड संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ ही अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करे ।

17. क्या एफआईआर दर्ज करने के लिए कोई विशेष प्रारूप है?

हाँ। प्रत्येक राज्य ने एफआईआर दर्ज करने के लिए एक विशेष प्रारूप निर्धारित किया है और एफआईआर कानूनी तौर पर तभी पंजीकृत मानी जाती है जब सूचना इस प्रारूप के अनुसार दर्ज की जाती है। ध्यान देने की बात है कि यह दायित्व प्रारूप के अनुरूप घटना का दर्ज होना पीड़ित या सूचनार्थी के लिए नहीं हैं बल्कि पुलिस के लिए है। प्रत्येक पीड़ित एफआईआर की एक निःशुल्क प्रतिलिपि का हकदार है।

एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया

अपराध के बारे में पुलिस को सूचित करें

आप सूचना को

मौखिक रूप से दे सकते हैं

पुलिस को इसे

लिखना चाहिए

आपको इसे पढ़कर सुनाना चाहिए

लिखित में दे सकते हैं

रिकॉर्ड की गई सूचना से सहमत होने पर दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करें

सुनिश्चित करें की पुलिस आपको दस्तावेज़ की निःशुल्क प्रतिलिपि प्रदान करें

यदि आप यौन पीड़ित की महिला पीड़ित हैं तो

- एक महिला अधिकारी को आपकी सूचना दर्ज करनी होगी
- विकलांग महिला पीड़ित द्वारा दी गई जानकारी को उसके निवास पर दर्ज किया जाना चाहिए
- सूचना दर्ज करने की प्रक्रिया की विडियोग्राफी होनी चाहिए।

18. क्या महिला पीड़ितों के लिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए विशेष प्रावधान हैं?

हाँ। आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973, भारत में सभी आपराधिक कार्यवाही को नियंत्रित करने वाला केंद्रीय कानून, बलात्कार, हमले, यौन उत्पीड़न, दृश्यता, अम्ल फेंकने सहित यौन अपराधों के मामलों में एफआईआर दर्ज करते समय पुलिस को विशेष निर्देश देता है। यदि पीड़ित खुद शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन आती है, तो उसकी एफआईआर एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज की जानी चाहिए। यदि पीड़ित मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अक्षम है (यहां तक कि अस्थायी रूप से), एफआईआर को अपने आवास या दुभाषिया/विशेष शिक्षक की उपस्थिति में अपनी पसंद के स्थान पर दर्ज करवा सकती है, और इसकी वीडियोग्राफ की जानी चाहिए।

यौन अपराधों की पीड़ित महिला की एफआईआर एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज की जानी चाहिए

जब अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की एक महिला इन यौन अपराधों में से किसी एक की रिपोर्ट करती है, तो अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अतिरिक्त पुलिस इन प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए बाध्य है।

19. अगर मैं अपनी शिकायत नहीं लिख सकता तो क्या होगा?

यदि आप अपनी शिकायत स्वयं लिखने में सक्षम नहीं हैं, तो आप किसी भरोसेमंद मित्र या ऐसे व्यक्ति की सहायता ले सकते हैं जो आप के लिए एफआईआर लिख सके। अधिनियम के तहत, आपकी शिकायत लिखकर आपकी मदद करना पुलिस का कर्तव्य भी है। आप जैसी जैसी जानकारी देंगे पुलिस उसे दर्ज करने के लिए बाध्य है। आपके द्वारा दी गई जानकारी को बदले बिना पुलिस अधिकारी को, आपकी स्वीकृति के लिए लिखित संस्करण को वापस पढ़ना चाहिए, और उसके बाद ही आपको शिकायत पर हस्ताक्षर करना चाहिए।

20. अधिनियम के तहत शिकायतों के लिए एफआईआर दर्ज करना आवश्यक है?

हाँ। चूंकि अधिनियम के तहत सूचीबद्ध सभी अपराध संज्ञेय अपराध हैं, पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी होगी। एफआईआर दर्ज करने से इंकार करना अब एक दंडनीय अपराध है, धारा 4 के तहत एक साल तक का कारावास दिया जा सकता है।

अत्याचार की एफआईआर का पंजीकरण अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत ज़रूर होना चाहिए

21. क्या इस अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने से पहले पुलिस प्रारंभिक जाँच कर सकती है?

संज्ञेय अपराधों में, सीआरपीसी की धारा 154 के तहत अपराध के होने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के तुरंत बाद पुलिस को एफआईआर दर्ज करना आवश्यक है। प्रारंभिक जाँच की । अनुमति दी गई है जैसे वैवाहिक विवाद, वाणिज्यिक अपराध, चिकित्सा लापरवाही के मामले, भ्रष्टाचार के मामले, या ऐसे मामले शामिल हैं जहां रिपोर्टिंग में अनुचित देरी हो रही है ((2014) 2 एससीसी 1)। इन मामलों में भी, पुलिस को प्रारंभिक जांच करने के लिए केवल कुछ विवेकाधिकार की अनुमति सिर्फ कुछ सीमित मामलों में दी गई है, जब उनके द्वारा प्राप्त

जानकारी स्पष्ट रूप किसी संज्ञेय अपराध को इंगित नहीं करती है। अन्य सभी मामलों में, पुलिस के पास कोई भी प्रारंभिक पूछताछ करने की शक्ति नहीं है कि "शिकायत सही है या नहीं," और यदि वे जानकारी से संतुष्ट हैं तभी इस अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करें। पुलिस अधिकारी द्वारा पंजीकरण करने से शिकायतकर्ता के किसी भी प्रयास को रोकना, उनपर समझौता करने के लिए दबाव डालना, पंजीकरण करने से इंकार करना, या इसे गैर–संज्ञेय अपराध के रूप में पंजीकृत करना कानून के खिलाफ है। इसके लिए अपराधी पुलिस अधिकारी को दंडित किया जा सकता है।

22. क्या आपको अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए किसी विशेष दस्तावेज की आवश्यकता है?

अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराने के लिए, पुलिस को यह जानने की जरूरत है कि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। पंजीकरण के समय, अपनी जाति निर्दिष्ट करना और अपने जाति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध करना महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तब भी पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य है। मामला पंजीकृत होने के बाद, पुलिस को जाति प्रमाण पत्र की व्यवस्था करने में सहयोग करना चाहिए। परन्तु इससे जांच में देरी हो सकती है, इसलिए पंजीकरण के दौरान ही आप अपना प्रमाणपत्र दे दें तो यह सबसे अच्छा है।

एफआईआर दर्ज कराते समय यह सुनिश्चित करें कि पीड़ित व अभियुक्त दोनों की जाति/जनजाति स्पष्ट की जाए

23. क्या एफ. आई.आर किसी भी पुलिस स्टेशन पर दर्ज की जा सकती है?

हाँ, एफ. आई.आर किसी भी पुलिस स्टेशन पर दर्ज की जा सकती है। यदि संज्ञेय अपराध किया गया हो तो कोई पुलिस अधिकारी इसके लिए इंकार नहीं कर सकता है, । भले ही अपराध की रिपोर्ट उस पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के बाहर हुई हो। ऐसे मामले में, इसे शून्य एफआईआर के रूप में पंजीकृत करके, संबंधित पुलिस स्टेशन को अग्रेषित करना पुलिस का कर्तव्य है।

24. अगर पुलिस आपकी शिकायत दर्ज कराने से इंकार कर देती है तो आप क्या कर सकते हैं?

अगर पुलिस आपकी शिकायत दर्ज कराने से इंकार कर देती है तो आप कई कदम उठा सकते हैं:

एक एफआईआर किसी भी थाने में दर्ज की जा सकती है

❖ अपराध के बारे में जानकारी अपने उप–प्रभाग के उप पुलिस अधीक्षक के साथ–साथ आपके जिले के पुलिस प्रभारी अधीक्षक को भेजें।	वे या तो मामले की जाँच खुद कर सकते हैं या जाँच का आदेश दे सकते हैं।
❖ सार्वजनिक कर्तव्य की लापरवाही के लिए अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 4 के तहत एक एफआईआर दर्ज करें।	यदि दोषी पाया जाता है, तो संबंधित अधिकारी को एक साल की कारावास की सजा मिल सकती है।
❖ निकटतम मजिस्ट्रेट अदालत में शिकायत दर्ज करें	यह तब पुलिस जांच का आदेश दे सकते हैं।
❖ राज्य मानवाधिकार आयोग और/या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायत करें।	शिकायत में पूछताछ के बाद, आयोग संबंधित सरकार को पीड़ित और उसके परिवार को मुआवजा मुहैया कराने के लिए सिफारिश कर सकता है, संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है, और/या पीड़ित को तत्काल अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए सिफारिश कर सकता है
❖ अनुसूचित जाति के लिए राज्य / राष्ट्रीय आयोग और अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य /राष्ट्रीय आयोग को शिकायत करें	

एफआईआर का पंजीकरण न करना, पीओए अधिनियम के धारा 4 के तहत एक अपराध है। इस अपराध के लिए पुलिस कर्मी को एक वर्ष तक के लिए दंडित किया जा सकता है।

यौन अपराध की पीड़ित महिला के रूप में, आप भारतीय दंड संहिता की धारा 166 क(सी) के तहत संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती हैं।

यौन हमले के शिकार नाबालिग (18 वर्ष से कम), पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 21 (1) के तहत संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, जहाँ अधिकारी को यदि दोषी पाया जाता है, तो उसे जुर्माने के साथ 6 महीने तक का कारावास दिया जा सकता।

25. क्या आपके केस को पंजीकृत करते समय अत्याचार निवारण अधिनियम के सभी प्रासंगिक धाराओं को नहीं लिखने के लिए पुलिस को भी दंडित किया जा सकता है?

हाँ, इस अधिनियम की धारा 4 पुलिस को बाध्य करती है कि न केवल तुरंत एफआईआर दर्ज करें, बल्कि सटीक धाराओं के तहत इसे पंजीकृत करे जो सभी कथित अत्याचारों का वर्णन करने में सक्षम हो। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि विभिन्न अत्याचारों के लिए विभिन्न दंड हैं ; साथ ही इसके साथ पीड़ितों और उसके परिवारों को देय राहत मुआवज़ा भी होता है। यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी पुलिस की है कि अधिनियम के सभी प्रासंगिक धाराऐं शामिल हों। यदि आप निश्चित नहीं हैं या सहायता की आवश्यकता है तो वकील या गैर–सरकारी संगठन की सहायता ली जा सकती है।

पंजीकरण के समय
आपके अधिकार

अपनी शिकायत/आवेदन को **एफआईआर के रूप में दर्ज कराना**

एफआईआर में अत्याचार निवारण अधिनियम के **सभी प्रासंगिक धाराओं का उल्लेख** होना चाहिए

एफआईआर की **निःशुल्क प्रतिलिपि** प्राप्त कर सकते हैं

आपके **कानूनी अधिकारों** के बारे में सूचित किया जाना चाहिए

पंजीकरण की पूरी कार्यवाही **वीडियो रिकॉर्ड** की जानी चाहिए

अन्वेषण / जाँच

26. पुलिस को जांच पूरी करने में कितना समय लगता है?

इस अधिनियम के तहत एक बार एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस को 60 दिनों के भीतर जाँच पूरी करनी होती है

यदि जाँच अधिकारी निर्धारित अवधि के भीतर अपनी जाँच पूरी करने में असमर्थ होते हैं तो उन्हें लिखित में एक इसका स्पष्टीकरण उनके वरिष्ठ अधिकारिओं और अदालत को देना अनिवार्य है। जाँच पूरी करने के लिए एक समयरेखा का निर्धारण, जाँच में मनमानी और अनावश्यक देरी पर नज़र रखने में मदद करता है और पर्यवेक्षी अधिकारियों को जहाँ आवश्यक हो, अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभाने वाले अधिकारिओं के खिलाफ उचित कार्यवाही करने में सहयोग करता है।

27. इस अधिनियम के तहत जाँच करने के लिए किस पद के अधिकारी जिम्मेदार हैं?

अत्याचार निवारण नियम, 1995 के नियम 7 के अनुसार पुलिस उप अधीक्षक (डीएसपी) के पद से नीचे के पुलिस अधिकारी द्वारा अत्याचार अपराधों की जाँच नहीं की जानी चाहिए। ये मध्यम स्तर के पर्यवेक्षी अधिकारी हैं जो पुलिस स्टेशन के एक समूह, या जिले के भीतर के एक उपविभाग के काम की देखरेख करते हैं, और सीधे जिला पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट करते है। उनका रैंक एक स्टेशन के प्रभारी या स्टेशन हाउस ऑफिसर के ऊपर है। इस नियम के पीछे मुख्य विचार यह था कि वरिष्ठ अधिकारी निष्पक्ष और कठोर पुलिस जांच सुनिश्चित कर सकते हैं। ध्यान दें कि बिहार और मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने पुलिस इंस्पेक्टर, सब–इंस्पेक्टर और सहायक सब–इंस्पेक्टर की सभी जांच रैंकों पर अत्याचार के मामलों की जांच करने की शक्ति बढ़ा दी है।

28. पुलिस द्वारा जाँच समाप्त होने के पश्चात क्या होता है ?

जाँच समाप्त होने के पश्चात पुलिस धारा 173, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत अदालत के समक्ष या तो आरोप पत्र दर्ज करती हैं या फिर जाँच बंद करने से सम्बंधित रिपोर्ट अदालत में दर्ज करती है। जाँच बंद करने से संबंधित रिपोर्ट से आशय है की या तो शिकायत में दर्ज अपराध नहीं हुआ है और पंजीकृत प्रथम सुचना रिपोर्ट गलत है। या फिर अपराध तो हुआ है परंतु अभियुक्तों पर मुक्कदमा चलाने के लिए प्रयाप्त सबूत नहीं है। इस स्तर पर, यदि पीड़ित चाहे तो पुलिस द्वारा बंद किये मामले का विरोध कर सकता है व जाँच को जारी रखने की गुज़ारिश कर सकता है।

आरोपपत्र तब दायर किया जाता है जब पुलिस की जाँच में पुष्टि हो जाती है की अपराध हुआ है और आरोपियों पर मुक्कदमा चलाने के

लिए प्रयाप्त सबूत है। पुलिस द्वारा एकत्र किये गये सबूतों जैसे कि पीड़ितों और गवाहों के बयान, गिरफ़्तार किये गये व्यक्तियों के विवरण और उन्हें ज़मानत पर रिहा किया गया या नहीं, यौन अपराधों के मामले में चिकित्सा पशिक्षण रिपोर्ट आदि को आरोप पत्र में सम्मिलित किया जाता है।

29. यदि आपको मामला पंजीकृत होने के पश्चात धमकियाँ मिलती है, तो आप क्या कर सकते है ?

1. साक्षियों की पहचान और पतों का न्यायिक निर्देशों एवं फैंसलों में अप्रकट करने से संबंधित विशेष न्यायालय में आवेदन कर सकते है।
2. उत्पीड़न से संबंधित किसी शिकायत को, चाहे वह उत्पीड़न किसी लोक सेवक द्वारा किया गया हो, विशेष न्यायालय में आवेदन कर सकते है एवं ऐसे उत्पीड़न के ख़िलाफ़ सुरक्षा की मांग कर सकते है। ऐसी स्थिति में विशेष न्यायालय इस प्रकार की शिकायत को मुख्य शिकायत से अलग सुनवाई करेगी और 2 माह के भीतर फैसला सुनायेगी। यदि शिकायत किसी लोक सेवक के खिलाफ है तो विशेष न्यायालय निर्देश दे सकती है कि संबंधित अधिकारी केवल न्यायालय की, अनुमति से ही, पीड़ित, सूचनार्थी या गवाहों से बातचीत करेंगे।

30. क्या अधिनियम के तहत आरोपी अग्रिम जमानत प्राप्त कर सकता है ?

नहीं। सामान्य तौर पर ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ कोई एफआईआर पंजीकृत हुई हो, और जिसे अपनी गिरफ़्तारी का डर हो, अग्रिम जमानत के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 के तहत न्यायालय जा सकता है। परन्तु, इस अधिनियम के तहत आरोपी के अग्रिम जमानत लेने के अधिकार को हटाया गया है।

जांच
के दौरान आपके अधिकार

एक परिचर के लिए यात्रा भत्ता प्राप्त कर सकते हैं (महिला पीड़ित या गवाह के मामले में)

अन्वेषण अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक, या पुलिस अधीक्षक से मिलने के दौरान यात्रा भत्ता प्राप्त कर सकते हैं

दैनिक + भरण – पोषण व्यय तीन दिनों के भीतर प्राप्त कर सकते हैं

अन्वेषण और चार्जशीट की नियमित की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं

मृत्यु या चोट या संपत्ति के नुकसान के संबंध में तत्काल राहत प्राप्त कर सकते हैं।

जांच की तारीखों और अन्वेषण के स्थान के बारे में पहले से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं

चार्जशीट की निःशुल्क प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं

कानूनी सहायता/विधिक सेवा प्राप्त कर सकते हैं

गैर–सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं या वकीलों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं

न्यायिक मुक्कदमा

31. विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय क्या है ?

शीघ्र विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, एक या अधिक जिलों के लिए एक अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित करेगीः परन्तु ऐसे जिलों मे जहां अधिनियम के अधीन कम मामले अभिलिखित किए गए हैं, वहा राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, ऐसे जिलों के लिए सेशन न्यायालयों को, इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय होना विनिद्रिष्ट करेगी। साथ ही, इस प्रकार स्थापित या विनिद्रिष्ट न्यायालयों की इस अधिनियम के अधीन अपराधों का सीधे संज्ञान लेने की शक्ति प्राप्त है।

अधिनियम के तहत सभी अपराधों का जिला स्तर पर गठित एक विशेष अदालत में मुक्कदमा चलता है।

32. एक विशेष लोक अभियोजक / अनन्य लोक अभियोजक कौन है?

एक विशेष लोक अभियोजक, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक वकील है जो विशेष अदालत में आरोपी के खिलाफ मुक्कदमा लड़ता है। इसी प्रकार, अनन्य विशेष न्यायालय में मुकदमे लड़ने के लिए अनन्य विशेष अभियोजक नियुक्त किया जाता है। एक वकील के रूप में सात से अधिक वर्षों का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ वकीलों को पीड़ितों द्वारा वांछित या अगर विशेष अदालत द्वारा आवश्यक समझा जाता है, तो तीन साल की अवधि के लिए नियुक्ति किया जा सकता है। ध्यान देनें वाली बात है कि पीड़ित को विशेष लोक अभियोजक की सहायता के लिए अपना वकील को चुनने का अधिकार हमेशा ही हैं।

33. क्या पीड़ित, विशेष अदालत में, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए अपनी पसंद के वकील का सुझाव दे सकता है?

हाँ। अधिनियम पीड़ित को जिला मजिस्ट्रेट या उप–मंडल मजिस्ट्रेट से संपर्क करने की इजाजत देता है ताकि वे अपनी पसंद के वकील को अपने मामले में विशेष लोक अभियोजक की सहायता के लिए नियुक्त करवा सकें।

34. मुक्कदमा पूरा करने के लिए न्यायालय कितना समय ले सकता है?

विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय के पास 60 दिनों की अवधि के भीतर परीक्षण पूरा करने का दायित्व है। जब तक सभी गवाहों की गवाही नहीं हो जाती है, तब तक कोर्ट की कार्यवाही दिन प्रतिदिन जारी रहेगी। यदि कार्यवाही को आगामी दिन से परे स्थगन करना पड़े तो, न्यायालय को स्थगन के लिखित कारण देने होंगे।

विशेष अदालतों को 60 दिनों के भीतर मुक्कदमें का परीक्षण पूरा करना होता है।

35. विशेष या अनन्य विशेष अदालत के कर्तव्य क्या हैं?

- पीड़ित को उनके मामले से संबंधित अदालत की प्रत्येक कार्यवाही की उचित, सटीक और समय पर सूचना प्रदान करना;
- जांच, पूछताछ और परीक्षण के दौरान पीड़ित को पूर्ण सुरक्षा, यात्रा और भरण पोषण व्यय, स्थानांतरण और सामाजिक–आर्थिक पुनर्वास प्रदान करना;
- समय–समय पर राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा की समीक्षा करना और उपयुक्त आदेश पास करना;
- विचारण अवधि के दौरान आरोपी की संपत्ति को जब्त करने पर विचार करना, और दोषसिद्धि के मामले में, ऐसी संपत्ति को राज्य सरकार को जब्त करने का आदेश देना।

36. गिरफ्तार होने पर आरोपी को जमानत पर रिहा किया जा सकता है?

एक बार गिरफ्तार होने के पश्चात, केवल विशेष अदालत या अनन्य विशेष न्यायालय, या उच्च न्यायालय ही आरोपी को जमानत पर रिहा कर सकता है। अधिनियम के तहत सभी अपराध गैर–जमानती अपराध हैं, जिसका अर्थ है कि केवल अदालत ही जमानत दे सकती है। जमानत की सुनवाई पीड़ित और उसके वकील की भागीदारी के साथ सुनिश्चित की जानी चाहिए।

37. जमानत मिलने पर क्या उसका विरोध कर सकते है?

हाँ, विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय द्वारा यदि किसी अभियुक्त को जमानत दी जाती है, तो ऐसे निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में पीड़ित द्वारा अपील दायर की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, यदि, अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के पश्चात, किसी गवाह को डराने या धमकाने का प्रयास करता है, या किसी साशय से छेड़खानी करता है या जमानत की शर्तो का उलंघन करता है, तो अभिया. `जक की ओर से पुलिस/या पीड़ित जमानत को रद्द करने की मांग कर सकता है।

मुक्कदमे के दौरान आपके अधिकार

समयानुसार अदालत की कार्यवाहियों
की सूचना प्राप्त करने का अधिकार

सभी कार्यवाही में सुनवाई का
अधिकार जैसे कि,
डिस्चार्ज, रिलीज, पैरोल सजा
के दौरान

मुकदमे के दौरान
यात्रा और रखरखाव का खर्च
प्राप्त करने का अधिकार

सामाजिक–आर्थिक–पुनर्वास
सहायता प्राप्त करने का अधिकार

उत्पीड़न के मामले में
सुरक्षा का अधिकार

अपील

38. क्या विशेष अदालत या अनन्य विशेष अदालत के फैसलों और आदेशों के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है?

हाँ। विशेष अदालत या अनन्य विशेष न्यायालय द्वारा पारित किसी भी फैसले, सजा या आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में तथ्यों और कानून के अनुसार अपील दायर की जा सकती है।

39. अपील कब तक दायर की जा सकती है?

किसी निर्णय, सजा या आदेश की तारीख के 90 दिनों के भीतर अपील दायर की जा सकती हैं। उच्च न्यायालय 90 से 180 दिनों तक भी अपील स्वीकार कर सकता है यदि अपीलकर्ता के पास 90 दिनों की अवधि के भीतर इसे दर्ज ना करवा पाने के पर्याप्त कारण हैं।

40. अपील के निपटारे की समय समय सीमा क्या है?

उच्च न्यायालय को अपील दाखिल करने की तारीख से 90 दिनों के भीतर, इस अधिनियम के तहत दायर किसी भी अपील पर निर्णय लेना होगा।

41. एक परिलक्षित क्षेत्र क्या है?

राज्य सरकार पर उन क्षेत्रों की पहचान करने का दायित्व है जहां उसे यह लगता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार होता है और साथ ही उन अत्याचारों को रोकने और सभी व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदमों को उठाने का दायित्व है।

42. इस परिलक्षित को ज्ञात क्षेत्र घोषित करने के बाद क्या होता है?

- जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक द्वारा परिलक्षित क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करना;
- गैर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों के हथियारों के लाइसेंस रद्द करना;
- सभी अवैध आग्नेयास्त्रों और अग्नि–हथियारों को जब्त करना व सभी अवैध निर्माण को निषेध करना;
- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को आयुध लाइसेंस प्रदान करना;
- परिलक्षित क्षेत्र में विशेष पुलिस बल की तैनाती।

43. निष्कासन क्या है?

इस अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय को निष्कासन का अधिकार दिया गया है। इसके आधीन, अगर विशेष न्यायालय को, पुलिस या आवेदक द्वारा संदिग्ध जताने के आधार पर यह लगता है कि किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के आधीन कोई अत्याचार करने की संभावना है तो न्यायालय, लिखित आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्ति को क्षेत्र की सीमाओं से परे, ऐसे मार्ग से होकर और इतने समय के भीतर अधिकतम 3 वर्ष तक हट जाने के निर्देष दे सकता है।

यह अधिकार सिर्फ परिलक्षित क्षेत्र या संविधान के अनुच्छेद 244 में पहचान किये गए 'अनुसूचित क्षेत्रों' या 'जनजातिय क्षेत्रों' तक सीमित है। निष्कासन के प्रावधान का मुख्य लक्ष्य अत्याचार की रोकथाम व भयभीत लोगों को सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

44. यदि कोई व्यक्ति जिसे धारा 10 के अधीन किसी क्षेत्र से हट जाने के लिए कोई निर्देश जारी किया गया है, हटने में असफल रहता है तो न्यायालय उसे क्या सजा देती है ?

यदि कोई व्यक्ति जिसे धारा 10 के अधीन किसी क्षेत्र से हट जाने के लिए निर्देश जारी किया गया है, हटने में असफल रहता है या फिर विशेष न्यायालय की लिखित अनुमति के बिना उस क्षेत्र में निष्कासित अवधि के भीतर प्रवेश करता है; तो विशेष न्यायालय उसे गिरफ्तार करा सकेगा और उस क्षेत्र के बाहर पुलिस अभिरक्षा में रखने का आदेश दे सकता है।

स्थल का निरीक्षण

45. अधिकारियों द्वारा स्थल का निरीक्षण

जब कभी जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, किसी पुलिस अधिकारी को जो पुलिस उप अधीक्षक से कम की पंक्ति का न हो, किसी व्यक्ति से अथवा अपनी ही जानकारी से सूचना प्राप्त करता है कि उसकी अधिकारिता के भीतर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार किया गया है तो तुरन्त वह अत्याचार से हुए जीवन हानि, संपत्ति हानि और नुकसान की सीमा का निर्धारण करने के लिए स्वयं घटना स्थल पर जाएगा और राज्य सरकार को तत्काल एक रिर्पोट प्रस्तुत करेगा। जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट अथवा कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक/पुलिस उप अधीक्षक उस स्थान या क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद उस स्थल पर,–

जिला मजिस्ट्रेट	पुलिस अधीक्षक
पीड़ितों, उनके परिवार के सदस्यों और आश्रितों की एक सूची तैयार करेंगे जो राहत के हकदार हैं	सुनिश्चित करें कि एफआईआर पंजीकृत है
	एक जांच अधिकारी नियुक्त करें
अत्याचार के पीड़ितों को नकद या सामान या दोनों 7 दिनों के भीतर प्रदान करें।	क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल तैनात करें
	गवाहों को और पीड़ितों से सहानुभूति रखने वाले व्यक्तिया को सुरक्षा प्रदान करें

उपरोक्त अधिकारी को नुकसान की सीमा, जीवन और संपत्ति की हानि, और पीड़ितों को प्रदान की गई राहत और पुनर्वास सुविधाओं और राज्य सरकार के साथ–साथ विशेष अदालत या अनन्य विशेष अदालत को एक रिपोर्ट तैयार करके देंगे।

राहत और पुनर्वास

46. क्या अधिनियम अत्याचार अपराधों के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति राहत प्रदान करता है?

हाँ। पीड़ितों को अधिनियम के तहत विभिन्न तरीकों से राहत उपलब्ध है:

क) तत्काल राहत (7 दिनों के भीतर):

जब कोई अत्याचार होता है, तो जिला प्रशासन पीड़ितों को तत्काल राहत, नकद या सामान या दोनों में तत्काल प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदार है; जीवन, संपत्ति के साथ–साथ शारीरिक हानि का भी आकलन करना अनिवार्य हैं। इसी तरह तत्काल राहत में भोजन, पानी, कपड़े, आश्रय, चिकित्सा सहायता, परिवहन सुविधाओं और अन्य आवश्यक वस्तु शामिल है, और यह सब घटना के 7 दिनों के भीतर दी जानी चाहिए। मौद्रिक राहत अलग–अलग अपराधों के लिए भिन्न होती है और पीड़ित को भुगतान एफआईआर के पंजीकरण के समय से शुरू हो जाता है, फिर आरोपपत्र चरण में, और आखिरकार, सजा के समय। अधिनियम में निर्धारित की गई राहत राशि निम्नानुसार है:

क्रम सं.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
1	अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखना (अधिनियम की धारा 3 (1) (क))	**पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपये। पीडित व्यक्ति को संदाय निम्नानुसार किया जाए : (i) क्रम संख्यांक (2) और (3) के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) पर 10 प्रतिशत और क्रम संख्याक (1), (4) और (5) के लिए प्रथम सूचना रिर्पोट प्रक्रम पर 25 प्रतिशत (ii) जब आरोप पत्र न्यायालय मे भेजा जाता है तब 50 प्रतिशत; (iii) जब अभियुक्त व्यक्ति क्रम संख्या (2) और (3) के लिए अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध कर दिया जाता है तब 40 प्रतिशत और इस प्रकार क्रम संख्याक (1), (4) और (5) के लिए 25 प्रतिशत।**
2	मल–मूत्र, मल, पशु शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करना (अधिनियम की धारा 3 (1) (ख))	
3	क्षति करने, अपमानित या क्षुब्ध करने के आशय से मलमूत्र, कूड़ा, पशु शव इकट्ठा करना (अधिनियम की ६ ाारा 3 (1) (ग)	
4	जूतों की माला पहनाना या नग्न या अर्ध नग्न घुमाना (अधिनियम की धारा 3 (1) (घ)	
5	बलपूर्वक ऐसे कार्य करना जैसे कपड़े उतारना, बलपूर्वक सिर का मुंडन करना, मूंछें हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना (अधिनियम की धारा 3 (1) (ड़))	

क्रम सं.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
6	भूमि को सदोष अधिभोग में लेना या उस पर खेती करना (अधिनियम की धारा 3 (1) (च))	**पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए। जहां आवश्यक हो वहां संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन द्वारा सरकारी खर्च पर भूमि या परिसर या जल आपूर्ति या सिंचाई सुविधा वापस लौटाई जाएगी। पीड़ित व्यक्ति को निम्नानुसार संदाय किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।**
7	भूमि या परिसरों से सदोष बेकब्जा करना या अधिकारों जिनके अंतर्गत वन अधिकार भी हैं; के साथ हस्तक्षेप करना (अधिनियम की धारा 3 (1) (च))	
8	बेगार या अन्य प्रकार के बलातश्रम या बंधुआ श्रम (अधिनियम की धारा 3 (1) (ज))	
9	मानव या पशुशवों की अंत्येष्टि या ले जाने या कब्रों को खोदने के लिए विवश करना (अधिनियम की धारा 3 (1) (झ))	
10	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को हाथ से सफाई करवाना या ऐसे प्रयोजन के लिए उसे नियोजित करना (अधिनियम की धारा 3 (1) (ञ))	**पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोपपत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत ; (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।**
11	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को देवदासी के रूप में कार्य निष्पादन करने या समर्पण का संवर्धन करने (अधिनियम की धारा 3 (1) (ट))	
12	मतदान करने या नामनिर्देशन फाइल करने से निवारित करना (अधिनियमों की धारा 3 (1)(ठ))	**पीड़ित व्यक्ति को पचासी हजार रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत;**
13	पंचायत या नगर पालिका के पद के धारक को कर्त्तव्यों के पालन न करने के लिए मजबूर करना या अभित्रस्त करना या उनमें व्यवधान डालना (अधिनियम की धारा 3 (1) (ड))	
14	मतदान के पश्चात् हिंसा और सामाजिक तथा आर्थिक बहिष्कार का अधिरोपण (अधिनियम की धारा 3 (1) (ढ))	
15	किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या उसको मतदान नहीं करने के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करना (अधिनियम की धारा 3 (1) (ण))	

क्रम सं.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
16	मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्रवाईयां संस्थित करना (अधिनियम की धारा 3 (1) (त))	पीड़ित व्यक्ति को पचासी हजार रूपए या वास्तविक विधिक खर्चों और नुकसानियों की प्रतिपूर्ति जो भी कम हो। संदाय निम्नानुसार किया जाएगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
17	किसी लोकसेवक की कोई मिथ्या और तुच्छ सूचना देना (अधिनियम की धारा 3 (1) (थ))	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए या वास्तविक विधिक खर्चों और नुकसानियों की प्रतिपूर्ति जो भी कम हो। संदाय निम्नानुसार किया जाएगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
18	लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर साशय अपमान या अपमानित करने के लिए अभित्रास (अधिनियम की धारा 3 (1) (द))	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगाः (i) प्रथम सूचना रिर्पोट (एफ.आई.आर.) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
19	लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से गाली–गलौज करना (अधिनियम की धारा 3 (1) (ध))	
20	धार्मिक मानी जाने वाली या अति श्रद्धा से ज्ञात किसी वस्तु को नष्ट करना, हानि पहुँचाना या उसे अपवित्र करना (अधिनियम की धारा 3 (1) (न))	
21	शत्रुता, घृणा से वैमनस्य की भावनाओं में अभिवृद्धि करना (अधिनियम की धारा 3 (1) (प))	
22	अति श्रद्धा से माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति का शब्दों द्वारा या किसी अन्य साधन से अनादर करना (अधि ानियम की धारा 3 (1) (फ))	

क्रम सं.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
23	किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को साशय ऐसे कार्यों या अंगविक्षेपों का उपयोग करके जो लैंगिक प्रकृति के कार्य के रूप में हों, उसकी सहमति के बिना उसे स्पर्श करना (अधिनियम की धारा 3 (1) (ब))	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रति,ात।
24	भारतीय दंड संहिता की धारा 326–ख (1860 का 45) स्वेछया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 (2) (फक))	(क) ऐसे पीड़ित व्यक्ति की जिसका चेहरा 2 प्रतिशत या उससे अधिक जला हुआ है या आंख, कान, नाक और मुंह के प्रकार्य ह्रास और या षरीर पर 30 प्रतिशत से अधिक जलन की क्षति की दशा में आठ लाख पच्चीस हजार रूपए; (ख) ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसका षरीर 10 से 30 प्रतिशत जला हुआ है, चार लाख पन्द्रह हजार रूपए; (ग) ऐसा पीड़ित व्यक्ति, चेहरे के अतिरिक्त, जिसका षरीर 10 प्रतिशत से कम जला हुआ है, को पचासी हजार रूपये। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन अम्ल के हमले से पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए पूरी जिम्मेदारी लेगा। मद (क) से (ग) के निबंधानुसार संदाय निम्नानुसार किया जाएगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) प्रकम पर 50 प्रतिशत; (ii) चिकित्सा रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर 50 प्रतिशत।
25	भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (1860 का 45) स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 (2) (अ.क))	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार दिया जाएगाः (i) प्रथम सूचना रिर्पोट (एफ.आई.आर.) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत; (ii) न्यायालय की आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत।
26	भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (1860 का 45) (लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दण्ड (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 (2)(अ.क))	
27	भारतीय दंड संहिता की धारा 354–ख (1860 का 45) निर्वस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 (2) (अ क))	

कम सं.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
28	भारतीय दंड संहिता की धारा 354–ग (1860 का 45) दृश्यरतिकता (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 (2) (अ क))	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) प्रक्रम पर 10 प्रतिशत। (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 40 प्रतिशत।
29	भारतीय दंड संहिता की धारा 354–घ (1860 का 45) पीछा करना (अधिनियम की अनुसूची 3 (2) (अक))	
30	भारतीय दंड संहिता की धारा 376–ख (1860 का 45) पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 (2) (अक))	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगाः (i) चिकित्सा परीक्षा एवं पुश्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात् 50 प्रतिशत ; (ii) न्यायालय के आरोप पत्र दिए जाने पर 25 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
31	भारतीय दंड संहिता की धारा 376–ग (1860 की 45) प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 (2) (अक))	पीड़ित व्यक्ति को चार लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगाः (i) चिकित्सा परीक्षा और पुश्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात् 50 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत।
32	भारतीय दंड संहिता की धारा 509 (1860 का 45) शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है। (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 (2) (अक))	पीड़ित व्यक्ति दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) अवसर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
33	जल को दूषित या गंदा करना (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 (2) (अक))	सामान्य सुविधा जिसके अंतर्गत जब पानी दूशित कर दिया जाता है, की सफाई भी है, को वापस लौटाने का पूरा खर्च संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आठ लाख पच्चीस हजार की रकम स्थानीय निकाय के परामर्श से जिला प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय की जाने वाली प्रकृति की सामुदायिक आस्तियों को सृजित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास जमा किया जाए।

क्रम सं.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
34	लोक समागम के किसी स्थान से गुजरने के किसी रूढ़िजन्य अधिकार से इनकार या लोक समागम के ऐसे स्थान का उपयोग करने या उस पर पहुंच रखने में बाधा पहुंचाना (अधिनियम की धारा 3 (1) (म))	**संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा पीड़ित व्यक्ति को चार लाख पच्चीस हजार रूपए और गुजरने के अधिकार के प्रत्यावर्तन का खर्च। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) निचले न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।**
35	किसी सदस्य को उसका गृह, ग्राम या निवास का अन्य स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना या करवाना	**संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा गृह, ग्राम या निवास के अन्य स्थान पर स्थल या ठहरने के अधिकार की बहाली और पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए की राहत तथा सरकारी खर्चे पर गृह का पुनः संनिर्माण, यदि विनिश्ट हो गया है। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।**
36	1. निम्नलिखित के संबंध में, किसी रीति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को बाधा डालना या निवारित करना–	
अ	(अ) क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति या अन्य के साथ समानता के आधार पर कब्रिस्तान या शमशान भूमि या किसी नदी, धारा, झरना, कुआँ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी सड़क या रास्ते का उपयोग (अधिनियम की धारा 3 (1) (यक) (अ))	**क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति संसाधनों कब्रिस्तान या शमशान भूमि का अन्य के साथ समानता के आधार पर उपयोग को या किसी नदी, धारा, झरना, कुआँ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी सड़क या रास्ते का उपयोग समानता के आधार पर संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाल करना और पीड़ित को एक लाख रूपए की राहत।**

क्रम सं.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
आ	सार्वजनिक स्थानों पर साईकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूतादि या नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना (अधिनियम की धारा 3 (1) (यक) (आ))	**सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूतादि या नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष।**
इ	किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हुए हैं, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस, जिसके अंतर्गत यात्रा है, निकालना या उनमें भाग लेना। (अधिनियम की धारा 3 (1) (यक) (इ))	**अन्य व्यक्तियों के साथ समानतापूर्वक किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हुए हैं, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस, जिसके अंतर्गत यात्रा हैं, निकालना या उनमें भाग लेने के अधिकार की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष।**
ई	किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना; या पब्लिक के लिए खुले किसी स्थान में पब्लिक द्वारा उपयोग के लिए आशयित बर्तनों या वस्तुओं का उपयोग। (अधिनियम की धारा 3 (1) (यक) (ई))	**किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना; या पब्लिक के लिए खुले किसी स्थान में पब्लिक द्वारा उपयोग के लिए आशयित बर्तनों या वस्तुओं के उपयोग की राज्य सरकार संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष।**
उ	कोई व्यवसाय करना या कोई वृत्तिक, व्यापार या कारबार करना या किसी कार्य में नियोजन, जिनमें पब्लिक के अन्य व्यापार सदस्यों या उसके किसी भाग का उपयोग करने का या उस तक पहुंच का अधिकार है। (अधिनियम की धारा 3 (1) (यक) (उ))	**कोई व्यवसाय करने या कोई वृतिक, व्यापार या कारबार करने या किसी कार्य में नियोजन, जिनमें पब्लिक के अन्य सदस्यों या उसके किसी भाग के उपयोग करने की या उस तक पहुंच के अधिकार की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष।**

क्रम सं.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
		संदाय निम्नानुसार दिया जाएगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है; (iii) 25 प्रतिशत अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
37	डायन होने या जादू–टोना करने का आरोप लगाने से शारीरिक क्षति या मानसिक अपहानि कारित करना (अधिनियम की धारा 3 (1) (यख))	पीड़ित को एक लाख रूपए और उसके अनादर बेइज्जती, क्षति और उसकी अवमानना के अनुसार संदाय। संदाय निम्नानुसार दिया जाएगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है; (iii) 25 प्रतिशत अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
38	सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार अधिरोपित करना या उसकी धमकी देना(अधिनियम की धारा 3 (1) (यग))	संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से सभी सामाजिक और आर्थिक सेवाओं की बहाली और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोश। जिसका संाय पूर्ण रूप से अवर न्यायालयों को आरोप पत्र भेजने पर किया जाएगा।
39	मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना (अधिनियम की धारा 3 (2) (i) और (ii))	पीड़ित को चार लाख पचास हजार रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है; (iii) 25 प्रतिशत अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
40	भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन अपराध करना, जो दस वर्ष से उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है (अधिनियम की धारा 3 (2))	पीड़ित और या उसके आश्रितों को चार लाख रूपए। इस रकम में फेरफार हो सकता है यदि अनुसूची में विनिर्दिश्ट अन्यथा उपबंध किया गया हो, संदाय निम्नानुसार किया जाएगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।

क्रम सं.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
41	भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन अपराध करना, जो अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, जो ऐसे दंड से दंडनीय है जैसे ऐसे अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता में विनिर्दिष्ट किया गया है। (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 (2) (v क))	पीड़ित और या उसके आश्रितों को दो लाख रूपए। इस रकम में फेरफार हो सकता है यदि अनुसूची में विनिर्दिश्ट अन्यथा उपबंध किया गया हो, संदाय निम्नानुसार किया जाएगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है; (iii) 25 प्रतितशत अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
42	लोक सेवक के हाथों पीड़ित करना (अधिनियम की धारा 3 (2) (vii))	पीड़ित और या उसके आश्रितों को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगाः (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है; (iii) 25 प्रतिशत अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
43	निःशक्तता।	
क	शत–प्रतिशत अक्षमता	पीड़ित को आठ लाख और पच्चीस हजार रूपए की संदाय
ख	जहाँ अक्षमता पचास प्रतिशत से कम है।	पीड़ित को चार लाख और पचास हजार रूपए संदाय
ग	जहां अक्षमता पचास प्रतिशत से कम है।	पीड़ित को दो लाख और पचास हजार रूपए संदाय
		निम्नानुसार किया जाएगाः (i) चिकित्सा जाँच और चिकित्सा रिर्पोट की पुश्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है;
44	बलात्कार या सामूहिक बलात्कार	
क	बलात्कार	पीड़ित को पांच लाख रूपए संदाय
ख	सामूहिक बलात्कार	पीड़ित को आठ लाख पच्चीस हजार रूपए संदाय

क्रम सं.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
		निम्नानुसार किया जाएगाः (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत; (ii) 25 प्रतिशत अब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है; (iii) अवर न्यायालय द्वारा मुक्कदमे की समाप्ति पर 25 प्रतिशत।
45	हत्या या मृत्यु	पीड़ित को आठ लाख पच्चीस हजार रूपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगाः (i) शव परीक्षा के पश्चात् 50 प्रतिशत (ii) 50 प्रतिशत आरोप पत्र न्यायालय को भेजे जाने पर।
46	हत्या, मृत्यु, सामूहिक हत्या, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, स्थायी अक्षमता और डकैती के पीड़ितों को अतिरिक्त अनुतोष।	पूर्वोक्त मदों के अधीन संदत्त अनुतोष की रकम के अतिरिक्त अनुतोष का अत्याचार की तारीख से तीन मास के भीतर निम्नानुसार प्रबंध किया जाएगाः— (i) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों से संबंध वाले मृतक व्यक्ति की विधवा या अन्य आश्रितों के प्रतिमास पांच हजार रूपए की मूल पेंशन के साथ अनुज्ञेय महंगाई भत्ता, जैसा संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी सेवकों को लागू है और मृतकों के कुटुंब के सदस्यों को रोजगार और कृषि भूमि पर, यदि तुरन्त क्रय द्वारा आवश्यक हो, का उपबंध; (ii) पीड़ितों के बालकों की स्नातक स्तर तक शिक्षा की पूरी लागत और उनका भरण—पोषण। बालकों को सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित आश्रम स्कूलों या आवासीय स्कूलों में दाखिल किया जा सकेगा; (iii) बर्तनों, चावल, गेहूँ, दालों, दलहन आदि तीन मास की अवधि के लिए उपबंध।
47	घरों को पूर्णयता नष्ट करना या जलाना	ईंटों या पत्थरों के बने हुए घरों का निर्माण या सर. कारी लागत पर उन्हें वहां उपलब्ध कराना जहां उन्हें पूर्णतया जला दिया गया है या नष्ट कर दिया गया है।

(ख) अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति, उसके आश्रितों तथा साक्षियों को यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता; भरण–पोशण व्यय और परिवहन सुविधाएँ (तीन दिनों में) – अत्याचार से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति, उसके आश्रित और साक्षियों को उसके आवास अथवा ठहरने के स्थान से अपराध के अन्वेषण या सुनवाई या विचारण के स्थान तक इस अधिनियम के तहत कई प्रकार के भत्तों को प्रदान करने के प्रावधान हैंः

भत्ता का प्रकार	भत्ता का विवरण	संबंधित प्राधिकारी	समय सीमा
यात्रा भत्ता	**यात्रा भत्ता में शामिल हैः** एक्सप्रेस/मेल/यात्री ट्रेन में द्वितीय श्रेणी का आने–जाने का रेल भाड़ा अथवा वास्तविक बस या टैक्सी भाड़े का संदाय **किसे दिया जाएगाः** अत्याचार से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति, उसके आश्रित और साक्षियों को **किन परिस्थितियों में मिल सकता हैंः** अन्वेषण अधिकारी, के पास जाने के लिए पुलिस अधीक्षक के पास जाने के लिए पुलिस उप अधीक्षक के पास जाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए अस्पताल जाने के लिए न्यायिक सुनवाई के दौरान कोई अन्य अधिकारी के पास जाने के लिए भत्तों का संदाय करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी **विशेष परिस्थितियांः** प्रत्येक महिला साक्षी, अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति या उसकी आश्रित महिला या अवयस्क व्यक्ति, साठ वर्ष की आयु से अधिक का व्यक्ति और 40 प्रतिशत या उससे अधिक की निःशक्तता वाले व्यक्ति को अपनी पसंद का परिचित अपने साथ लाने का हकदार होगा। परिचर को भी इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध की सुनवाई, अन्वेषण और विचारण के दौरान बुलाए जाने पर साक्षी अथवा अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति को देय यात्रा और भरण–पोषण व्यय का संदाय किया जाएगा।	**जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा कोई अन्य कार्यापालक मजिस्ट्रेट**	**तीन दिनों के भीतर**
दैनिक भत्ता	**दैनिक भत्ता सुविधाओं में शामिल है** ऐसी न्यूनतम दरों पर संदाय किया जाएगा जैसा की राज्य सरकार समय–समय पर नियत करे।	**जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा कोई अन्य कार्यापालक मजिस्ट्रेट**	**तीन दिनों के भीतर**

भत्ता का प्रकार	भत्ता का विवरण	संबंधित प्राधिकारी	समय सीमा
	दैनिक भत्ता सुविधाएँ किसे मिल सकती हैं अत्याचार से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति, उसके आश्रित और साक्षियों को **दैनिक भत्ता सुविधाएँ किन परिस्थितियों में मिल सकती हैं** पीड़ित व्यक्तियों, उनके आश्रितों/परिचर तथा साक्षियों को अन्वेषण अधिकारी या पुलिस थाना के भारसाधक अथवा विशेष न्यायालय जाने के दिनों के लिए	जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा कोई अन्य कार्यापालक मजिस्ट्रेट	तीन दिनों के भीतर
आहार व्यय	**आहार व्यय सुविधाओं में शामिल है** आहार व्यय का भी ऐसी दरों पर संदाय किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार समय–समय पर नियत करे। **आहार व्यय सुविधाएँ किसे मिल सकती है** अत्याचार से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति, उसके आश्रित और साक्षियों को	जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा कोई अन्य कार्यापालक मजिस्ट्रेट	तीन दिनों के भीतर
हस्पताल से संबंधित व्यय	**हस्पताल से संबंधित व्यय में शामिल है** औषधियों विशेष परामर्श रक्ताधान बदलने के लिए आवश्यक वस्त्र	जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा कोई अन्य कार्यापालक मजिस्ट्रेट	तत्काल

47. अगर आपको रहत राशि नहीं मिलती है तो आप क्या कर सकते हैं

यदि आपको राहत प्रतिकर नहीं मिलता है या राशि का आंशिक भाग दिया जाता है या प्रतिकार मिलने में किसी प्रकार की देरी होती है तो आप विशेष न्यायालय से पूर्ण प्रतिकार की मांग कर सकते हैं। विशेष न्यायालय आपकी शिकायत पर सुनवाई करेगी एवं अगर न्यायालय शिकायत से संतुष्ट है तो वह पूर्ण या आंशिक प्रतिकार प्रदान करने से सम्बंधित निर्णय दे सकती है ।

सतर्कता
और मॉनिटरी तंत्र ////

48 राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति क्या है ?

अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार का दायित्व है की वह अपने राज्य में तीन स्तरों पर सतर्कता और मॉनिटरी समिति का गठन करें– राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और उपखंड स्तर पर यह समितियां यह सुनिश्चित करती हैं कि अधिनियम का सही क्रियानवयन हो रहा है या नहीं , विभिन्य अधिकारी अपने कार्यों को प्रभाबी ढंग से निभा रहे हैं या नहीं ताकि पीड़ितों और गवाहों को उनके अधिकार मिलने में परेशानी न हो, उन्हें समय पर राहत और न्याय मिल सके। इन समितियों में से प्रत्येक की रचना और विशिष्ट जनादेश नियमानुसार है:

समिति	समिति का गठन	बैठक
राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरी समिति का गठन–	**संयोजक:** अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास का भारसाधक प्रभारी सचिव; **सदस्य:** मुख्यमंत्री या प्रशासक– अध्यक्ष (राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य की दशा में राज्यपाल अध्यक्ष होगा); गृहमंत्री, वित्त मंत्री और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास का भारसाधक मंत्री– सदस्य (राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य की दशा में सलाहकार सदस्य होंगे); अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संसद, राज्य विधान सभा और विधान परिषद् के सभी निर्वाचित सदस्य; मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, निदेशक/उपनिदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग सदस्य होंगे; जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरिंग समिति में निर्वाचित संसद सदस्य, राज्य विधान सभा के सदस्य तथा विधान परिषद के चुने गए सदस्य।	**कैलेंडर वर्ष में कम से कम दो बार जनवरी और जुलाई के मास में**

समिति	समिति का गठन	बैठक
जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरी समिति का गठन– (1)	**संयोजक:** जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष होंगे तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी सचिव होंगे; **सदस्य:** जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरिंग समिति में निर्वाचित संसद सदस्य, राज्य विधान सभा के सदस्य तथा विधान परिषद के चुने गए सदस्य; पुलिस अधीक्षक; अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित राज्य सरकार के तीन समूह ''क'' अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी; अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से अधिकतम 5 अनौपचारिक सदस्य; गैर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से अधिकतम 3 अनौपचारिक सदस्य जो गैर–सरकारी संगठनों से सहबद्ध है।	**तीन मास में कम से कम एक बार**
उपखंड स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरिंग समिति का गठन	**संयोजक:** उपखण्ड मजिस्ट्रेट अध्यक्ष होंगे; **सदस्य:** अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के राज्य विधान सभा के सदस्य तथा विधान परिषद के चुने गए सदस्य एवं पंचायती राज के चुने हुए सदस्य; पुलिस उप अधीक्षक; तहसीलदार; ब्लॉक विकास अधिकारी सदस्य–सचिव होंगे; अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से अधिकतम 2 अनौपचारिक सदस्य; गैर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से अधिकतम 2 सदस्य होंगे जो गैर–सरकारी संगठनों से सहबद्ध हैं।	**तीन मास में कम से कम एक बार**

49. नोडल अधिकारी कौन है ?

नोडल अधिकारी राज्य सरकार द्वारा चयनित एक सचिव स्तरीय अधिकारी है। नोडल अधिकारी मुख्य रूप से जिला मैजिस्ट्रेट, पुलिस अध ीक्षक एवं प्राधिकृत अन्य अधिकारियों के बीच कार्यान्वयन व अधिनियम के तहत अन्य अधिकारियों के कार्यकरण के समन्वय के लिए जि. म्मेदार है। अधिमानतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से नोडल अधिकारी नामनिर्देशित करना राज्य सरकार का कर्तव्य है।

50. नोडल अफसर से अपेक्षित कार्य क्या हैं ?

नोडल अधिकारी निम्नलिखित का पुनर्विलोकन करने के लिए जिम्मेदार है –

- राज्य सरकार द्वारा प्राप्त रिर्पोट;
- अधिनियम के अधीन पंजीकृत मामलों की स्थिति;
- परिलक्षित क्षेत्र में विधि व्यवस्था की स्थिति;
- अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों या उसके आश्रित को नकद या वस्तु रूप में अथवा दोनों में तत्काल राहत उपलब्ध कराने के लिए अपनाए गए विभिन्न उपाय;
- अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों या उसके आश्रितों को राशन, वस्त्र, आश्रय, विधिक सहायता, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता तथा परिवहन सुविधाओं जैसी तत्काल दी जाने वाली सुविधाओं की पर्याप्तता;
- अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार गैर–सरकारी संगठनों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष, विभिन्न समितियों और लोक सेवकों का कार्यपालन।
- अधिनियम के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट पीड़ितों और साक्षियों के अधिकारों का कार्यान्वयन।

51. एक विषेश अधिकारी कौन है ?

परिलक्षित क्षेत्र में अपर जिला मजिस्ट्रेट के रैंक के एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक या अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार अन्य अधिकारियों, विभिन्न समितियों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष के साथ समन्वय करने के लिए जिम्मेदारी है।

52. विषेश अधिकारी से अपेक्षित कार्य क्या हैं?

विशेष अधिकारी केवल परिलक्षित क्षेत्र में कार्यरत होगा एवं निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा–

- ❖ अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल राहत और अन्य सुविधाएं प्रदान करना
- ❖ अत्याचार के पुनः होने को निवारित करने या उससे बचने के आवश्यक उपाय करना;
- ❖ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों को उनके अधिकारों और विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरुक करना;
- ❖ गैर–सरकारी संगठनों के साथ समन्वय करना और केन्द्रों के रख–रखाव या कार्यशालाओं का आयोजन करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों को आवश्यक सुविधाएँ, वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता करना।
- ❖परिलक्षित क्षेत्रों में अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट पीड़ितों और साक्षियों के अधिकारों का कार्यान्वयन।

अनुलग्नक 1

अधिनियम के तहत एक मामले की समयरेखा

चरण 1
एफआईआर का पंजीकरण

चरण 2
चालान की पेशी

एफआईआर दर्ज होने के 60 दिनों के भीतर

चरण 3
मुक्कदमा

चालान पेश होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर

चरण 4
आदेश के खिलाफ अपील

आदेश आने से 90–180 दिनों के भीतर दर्ज करें

चरण 5
अपील पर निर्णय

अपील स्वीकृति की तारीख से 90 दिनों के भीतर

अनुलग्नक 2

विभिन्न सरकारी पदाधिकारियों के उत्तरदायित्वों की सूचि

	राज्य स्तरीय वर्ग	उत्तरदायित्व
पुलिस	पुलिस थाने के भारसाधक पुलिस अधिकारी	**पंजीकरण [नियम 5] [धारा 15 क(9)]** तुरंत एफआईआर दर्ज करना। प्रथम सुचना रिपोर्ट सही धाराओं में पंजीकृत करना। एफआईआर पर आवेदक के हस्ताक्षर लेना। एफआईआर की एक निःशुल्क प्रति आवेदक को तत्काल देना।
	पुलिस उप अधीक्षक	**जाँच/अन्वेषण [नियम 7]** पीड़ितों और गवाहों के बयांन रिकॉर्ड करना। अन्वेषण समाप्त कर 60 दिन के भीतर चार्ज शीट फाइल करना। अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध का अन्वेषण पूरा कर, पुलिस अधीक्षक को रिर्पोट प्रस्तुत करना। अन्वेषण में या अरोप पत्र फाइल करने में यदि कोई विलंब हो, जाँच अधिकारी द्वारा लिखित में स्पष्ट करना। **जहां घटना घटित हुई है [नियम 6]** स्वयं घटना स्थल पर जा कर राहत के हकदार पीड़ितो, उनके कुटुम्ब के सदस्यों और आश्रितों की एक सूची बनाना। क्षेत्र में पुलिस की गहन गश्त के आदेश देना। साक्षियों और पीड़ितों से सहानुभूति रखने वालों को सुरक्षा प्रदान करने के प्रभावी और आवश्यक उपाय बनाना, पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करेगा। अत्याचार से हुए जीवन हानि, संपत्ति हानि और नुकसान की सीमा का निर्धारण करने के लिए स्वयं घटना स्थल पर जाना और राज्य सरकार को तत्काल एक रिर्पोट प्रस्तुत करना।
	पुलिस अधीक्षक	**पर्यवेक्षण [नियम 5(3)]** पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि की जहाँ प्रथम सुचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी है वे थाने के इंचार्ज अधिकारी को ऐसे मामले पंजीकरण करने के निर्देश जारी करें।

	राज्य स्तरीय वर्ग	उत्तरदायित्व
पुलिस	**पुलिस अधीक्षक**	**जहाँ घटना घटित हुई है [नियम 6 और 12]** सुनिश्चित करें की स्पॉट निरिक्षण किया गया है और अनुवर्ती कदम उठाए गए हैं सुनिश्चित करें कि अपराध पंजिकृत हो अन्वेषण अधिक.ारी की नियुक्ति अपराध के क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस कर्मियों को तैनात करें। गवाह और अन्य सहानुभूतिदाताओं को सुरक्षा प्रदान करें। **जाँच/अन्वेषण अधिकारी [नियम 7]** अधिकारी की ईमानदारी व सिद्ध रिकॉर्ड के आधार पर आई.ओ की नियुक्ति में इनपुट
	पुलिस हेडक्वॉर्टर्स	**[धारा 4]** अधिनियम के तहत पुलिस के उत्तरदायित्वों को मॉनिटर करना पुलिस की लापरवाहियों के लिए प्रभावी कदम उठाना
प्रशासन	**जिला मजिस्ट्रेट तथा उपखण्ड मजिस्ट्रेट**	**विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्यवाही–[धारा 17]** लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाये रखने के लिये क्षेत्र को अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र घोषित करना **मॉनिटरिंग [नियम 4]** एक कलेंडर वर्ष में दो बार, जनवरी तथा जुलाई के मास में विशेष लोक अभियोजक और अनन्य विशेष लोक अभियोजक के कार्यपालन का पुनर्विलोकन करेंगे इस अधिनियम के तहत रजिस्ट्रीकृत मामलों की स्थिति का पुनर्विलोकन; पीड़ितों और गवाहों के अधिकारों का कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन; मास की बीसवीं तारीख को या उससे पूर्व अभियोजन निदेशक और राज्य सरकार को एक मासिक रिर्पोट मामलों के संचालन के लिए **न्यायिक विचारण से संबंधित [नियम 4(5)]** जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट, यदि आवश्यक समझे, अथवा अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति ऐसा चाहें तो विशेष न्यायालयों या अनन्य विशेष न्यायालयों में मामलों के संचालन के लिए ऐसी फीस के भुगतान पर जैसा वह उचित समझे, एक विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता को नियोजित कर सकेगा। **जहां घटना घटित हुई [नियम 6]** स्वयं घटना स्थल पर जा कर राहत के हकदार पीड़ितो, उनके कुटुम्ब के सदस्यों और आश्रितों की एक सूची बनाना; क्षेत्र में पुलिस की गहन गश्त के आदेश देगा;

	राज्य स्तरीय वर्ग	उत्तरदायित्व
प्रशासन	**जिला मजिस्ट्रेट तथा उपखण्ड मजिस्ट्रेट**	साक्षियों और पीड़ितों से सहानुभूति रखने वालों को सुरक्षा प्रदान करने के प्रभावी और आवश्यक उपाय देना; पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करना अत्याचार से हुए जीवन हानि, संपत्ति हानि और नुकसान की सीमा का निर्धारण करने के लिए स्वयं घटना स्थल पर जाएं और राज्य सरकार को तत्काल एक रिर्पोट प्रस्तुत करें; **राहत [नियम 12]** राहत के लिए अत्याचार से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति, उसके आश्रित और साक्षियों को उसके आवास अथवा ठहरने के स्थान से अधिनियम के अधीन अपराध के अन्वेषण या सुनवाई या विचारण के स्थान तक का भत्ता का संदाय पीड़ित व्यक्तियों के लिए औषधियों, विशेष परामर्श के लिए संदाय की प्रतिपूर्ति नकदी या वस्तुरूप या दोनों में अनुतोष प्रदान करना; पीड़ित व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास सुविधाओं की एक रिर्पोट विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय को अग्रेषित करना
	नोडल अधिकारी (राज्य सरकार के सचिव के स्तर का अधिकारी)	**[नियम 9]** राज्य सरकार, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक या उनके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारियों के कार्यकरण का समन्वय करना अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत मामलों की स्थिति; परिलक्षित क्षेत्र में विधि व्यवस्था की स्थिति; अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों या उसके आश्रित को नकद या वस्तु रूप में अथवा दोनों में तत्काल राहत उपलब्ध कराने के लिए अपनाए गए विभिन्न उपाय का पुनर्विलोकन;
	विषेश अधिकारी (एडीएम स्तर का अधिकारी)	**[नियम 10]** परिलक्षित क्षेत्र में अपर जिला मजिस्ट्रेट पुलिस अधीक्षक या अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार अन्य अधिकारियों, के साथ पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल राहत और अन्य सुविधाएं और अत्याचार के पुनः होने को निवारित करने या उससे बचने के आवश्यक उपाय के लिए समन्वय करने के जिम्मेदार
अभियोजन	**अभियोजन निदेशक**	**मॉनिटरिंग [नियम 4]** एक कलेंडर वर्ष में दो बार, जनवरी तथा जुलाई के मास में विशेष लोक अभियोजक और अनन्य विशेष लोक अभियोजक के कार्यपालन का पुनर्विलोकन
	विषेश लोक अभियोजक	**समयानुसार पीड़ित को न्यायिक कार्यवाही का पूर्ण विवरण पहुँचाना**

	राज्य स्तरीय वर्ग	उत्तरदायित्व
न्यायतंत्र	**विषेश न्यायालय और अनन्य विषेश न्यायालय**	**न्यायिक विचारण [धारा 14]** प्रत्येक विचारण में कार्यवाहियाँ, दिन–प्रतिदिन के लिए जारी रहेंगी कार्यवाहियों को आगामी दिन पर स्थगित करने के कारण लिखित में रिकॉर्ड करना इस अधिनियम के अधीन मामले, यथासंभव, दो मास की अवधि के भीतर निपटाना। **पीड़ित व्यक्तियों के लिए भत्ता [धारा 15क]** अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान यात्रा तथा भरण–पोषण व्यय का संदाय करना **संरक्षण [धारा 15क]** किसी प्रकार के अभित्रास, प्रपीड़न या उत्प्रेरणा या हिंसा या हिंसा की धमकियों के विरूद्ध पीड़ितों, उसके आश्रितों और साक्षियों के संरक्षण के लिए व्यवस्था करना और न्यायालय, राज्य प्रस्थापित संरक्षण का आवधिक रूप में पुनर्विलोकन करेगा तथा समुचित आदेश पारित करेगा साक्षियों की पहचान और पतों का अप्रकटन करने के लिए निर्देश जारी करना **निष्कासन [धारा 10]** ऐसे व्यक्ति को हटाए जाने का निर्देश देना जिसके द्वारा अपराध किये जाने की संभावना है
	उच्च न्यायालय	**अपील [धारा 14क]** विशेष न्यायालय या किसी अनन्य विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश का निपटारा अपील का निपटारा, यथासंभव, अपील ग्रहण करने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर।
सरकार	**राज्य सरकार**	**[धारा 9]** किसी जिले या उसके किसी भाग में राज्य सरकार के किसी अधिकारी को गिरफ़्तारी अन्वेषण व अभियोजन की शक्तियाँ प्रदान करना **धारा 3, 4, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18** ऐसे क्षेत्र को परिलक्षित घोषित करना, जहां उसके पास विश्वास का कारण है कि अधिनियम के अधीन अत्याचार हो सकता है या किसी अपराध के पुनः होने की आशंका है; अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन में सरकार की सहायता

	राज्य स्तरीय वर्ग	उत्तरदायित्व
सरकार	**राज्य सरकार**	करने के लिए यदि उचित और आवश्यक समझा जाए तो एक उच्च शक्ति प्राप्त राज्य स्तरीय समिति, जिला तथा प्रभाग स्तरीय समितियों का गठन करना; जागरूकता केन्द्रों की स्थापना और कार्यशालाओं का आयोजन करना विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ताओं की ऐसी संख्या का पैनल प्रत्येक जिले के लिए तैयार करेगी जो कम से कम सात वर्ष से विधि व्यवसाय में हों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष की स्थापना करेगी। राज्य सरकार के सचिव के स्तर के अधिकारी को, जो अधिमानतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो, नोडल अधिकारी नामनिर्देशित करेगी। जिला स्तर पर अपर जिला मजिस्ट्रेट के रैंक से अन्यून के एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का प्रशासन तथा पुलिस बल में सभी स्तरों पर विशेष रूप से पुलिस चौकियों और पुलिस थाने में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व। वार्षिक बजट में अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए समुचित स्कीम कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक उपबंध करेगी। राज्य सरकार, अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए एक आकस्मिकता योजना बनाएगी और उसे कार्यान्वित करेगी।
	केंद्रीय सरकार	**केन्द्रीय सरकार प्रतिवर्श संसद के दोनों सदनों के पटल पर स्वयं के द्वारा तथा राज्य सरकारों द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में किये गये उपायों की रिर्पोट रखेगी।**

सी.एच.आर.आई. कार्यक्रम ////

सी.एच.आर.आई. के कार्यक्रम इस विश्वास पर आधारित है कि मानव अधिकार, वास्तविक लोकतंत्र और विकास लोगों के जीवन में वास्तविकता बन सके, राष्ट्रमंडल और उसके सदस्य देशों के भीतर उत्तरदायित्व और भागीदारी के लिए उच्च मानकों और कार्यात्मक तंत्र होना चाहिए। सी.एच.आर.आई. मानव अधिकारों पर रणनीतिक पहल और वकालत, न्याय तक पहुंच और जानकारी तक पहुंच के माध्यम से इस विश्वास को आगे बढ़ाता है। यह सब अनुसंधान, प्रकाशन, कार्यशालाओं, सूचना प्रसार और वकालत के माध्यम से करता है।

1. न्याय तक पहुंच ////

पुलिस सुधारः बहुत से देशों में पुलिस को नागरिकों के अधिकारों के संरक्षक के बजाय राज्य के दमनकारी साधन के रूप में देखा जाता है, जिससे व्यापक अधिकारों का उल्लंघन और अन्याय होता है। सीएचआरआई प्रणालीगत सुधार को बढ़ावा देता है ताकि पुलिस वर्तमान शासन के दमनकारी कारक के बजाए कानून के शासन के समर्थकों के रूप में कार्य करे। भारत में, सी.एच.आर.आई. का कार्यक्रम पुलिस सुधार के लिए सार्वजनिक समर्थन को संगठित करना है। दक्षिण एशिया में, सी.एच.आर.आई. पुलिस सुधारों पर नागरिक समाज की भागीदारी को मजबूत करने के लिए काम करता है। पूर्वी अफ्रीका और घाना में, सी.एच.आर.आई. पुलिस उत्तरदायित्व के मुद्दों और राजनीतिक हस्तक्षेप की जांच कर रहा है।

जेल सुधारः सी.एच.आर.आई. का काम परंपरागत रूप से बंद प्रणाली की पारदर्शिता बढ़ाने और कदाचार को उजागर करने पर केंद्रित है। यह प्रमुख क्षेत्र कानूनी व्यवस्था की असफलताओं को उजागर करने पर केंद्रित है, जिसके परिणामस्वरूप भयानक, अतिसंवेदनशील और अनिश्चित रूप से लंबे समय से पूर्व परीक्षण मुकदमे और जेल ओवरस्टेस होते हैं, और इसे कम करने के लिए हस्तक्षेप आवश्यक हैं। ध्यान देने के लिए एक और विषय है जेल निरीक्षण प्रणाली को पुनर्जीवित करना लेकिन यह पूरी तरह असफल रहा है। हमारा मानना है कि इन क्षेत्रों पर ध्यान जेलों के प्रशासन में सुधार आएगा और साथ ही कुल न्याय के प्रशासन पर भी प्रभाव डालेगा।

2. सूचना तक पहुंच ////

सी.एच.आर.आई. को राष्ट्रमंडल में सूचना तक पहुंच बढ़ाने के लिए काम कर रहे मुख्य
संगठनों में से एक माना जाता है। यह देशों को सूचना कानूनों का प्रभावी अधिकार को पारित और लागू करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह नियमित रूप से कानून के विकास में सहायता करते है और भारत, बांग्लादेश और घाना में सूचना अधिकार को बढ़ावा देने में विशेष रूप से सफल रहे हैं, जहां हम आर.टी.आई. सिविल सोसाइटी गठबंधन के सचिवालय है। जब कानून तैयार किए जाते हैं और जब उन्हें लागू किया जा रहा होता है, हम नियमित रूप से नए बिलों की आलोचना करते है और सरकारों और नागरिक समाज के ज्ञान में सर्वोत्तम प्रथाओं को लाने के लिए हस्तक्षेप करते है। शत्रुतापूर्ण वातावरण के साथ–साथ सांस्कृतिक रूप से विविध क्षेत्राधिकारों में भी काम करने का हमारा अनुभव

सी.आर.आर.आई. को जानकारी के अधिकार पर नए कानूनों को विकसित और लागू करने के इच्छुक देशों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि लाने की अनुमति देता है। घाना में, उदाहरण के लिए हम जानकारी तक पहुंच के मूल्य के बारे में ज्ञान को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कानून द्वारा गारंटीकृत है जबकि साथ ही एक प्रभावी और प्रगतिशील कानून की शुरूआत के लिए भी दबाव डाल रहे है। घाना में जब सूचना कानून तक पहुंच आती है, हम कानून की निगरानी के साथ समानांतर में सार्वजनिक ज्ञान बनाने और उन तरीकों से इसका उपयोग करने का इरादा रखते हैं जो सिस्टम उत्तरदायित्व पर कानून के प्रभाव को इंगित करते हैं – विशेष रूप से पुलिस और क्षेत्र के क्षेत्र में आपराधिक न्याय प्रणाली का।

3. अंतर्राष्ट्रीय वकालत और प्रोग्रामिंग ////

सी.एच.आर.आई. मानवाधिकार दायित्वों के साथ सदस्य राज्यों के अनुपालन की निगरानी करता है और मानवाधिकार अत्यावश्यकताओं की वकालत करता है जहां ऐसे दायित्वों का उल्लंघन किया जाता है। सी.एच.आर.आई. रणनीतिक रूप से राष्ट्रमंडल मंत्रिस्तरीय कार्य समूह, संयुक्त राष्ट्र और मानव अधिकारों के अफ्रीकी आयोग समेत क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ संलग्न है। चल रही सामरिक पहलों में शामिल हैं: राष्ट्रमंडल के सुधार की वकालत और निगरानी; संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा के साथ जुड़ना; मानवाधिकार रक्षकों और नागरिक समाज की जगह की सुरक्षा के लिए वकालत; और राष्ट्रमंडल में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के प्रदर्शन की निगरानी करते हुए उनकी मजबूती के लिए कार्यरत रहना।